कहानियाँ बदलाव की

MAMTA HIMC
BRIDGE TO HEALTH & BEYOND

unicef
for every child

कहानियाँ बदलाव की

MAMTA HIMC
BRIDGE TO HEALTH & BEYOND

unicef
for every child

प्रकाशक : यूनिसेफ, मध्य प्रदेश कार्यालय
प्लॉट नं. 41-42, यू.एन. हाउस, पॉलिटेक्निक कॉलोनी, श्यामला हिल्स,
भोपाल- 462002 भारत
+91-755-2661555/2661556
www.unicef.org

: ममता हेल्थ इंस्टिट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड
बी-5, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव II,
ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली, दिल्ली- 110048
+91-011-41069597 /41720210/43535440
www.mamtahimc.in

वर्ष : अगस्त, 2025

© यूनिसेफ, मध्य प्रदेश कार्यालय
© ममता एच.आई.एम.सी., नई दिल्ली
इस प्रकाशन के किसी भी हिस्से का उपयोग अथवा पुनःउपयोग क्रेडिट के साथ किया जा सकता है।

तकनीकी मार्गदर्शन : श्री लॉलीचन पी. जोसफ, बाल संरक्षण विशेषज्ञ
सुश्री अद्वैता मराठे, बाल संरक्षण अधिकारी
यूनिसेफ, मध्य प्रदेश कार्यालय, भोपाल

सुश्री गुल सारिका झा, स्वतंत्र लेखक
सुश्री सीत मिश्रा, स्वतंत्र लेखक

संपादन : सुश्री इंदु सारस्वत, ममता एच.आई.एम.सी.
श्री प्रशांत दुबे, आवाज जन कल्याण समिति
श्री विजय यादव, आरंभ संस्थान
श्री अमरजीत कुमार सिंह, सलाहकार, यूनिसेफ

आभार : यह कहानी-पुस्तक यूनिसेफ, मध्य प्रदेश कार्यालय द्वारा ममता संस्थान (ममता एचआईएमसी) के तकनीकी सहयोग से प्रकाशित की गई है।
हम अपने साहसी युवा कहानीकारों, जिन्होंने अपने प्रेरक जीवन के अनुभव साझा किए एवं उन लेखकों, जिन्होंने इन कहानियों को कुशलतापूर्वक लिखा, साथ ही, महिला एवं बाल विकास विभाग के उन समर्पित अधिकारियों, जिनके महत्वपूर्ण सहयोग से इस कहानी-पुस्तक का प्रकाशन संभव हुआ, के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

उद्घोषणा : इस पुस्तक में लिखे गए तथ्य और विवरण लेखकों के व्यक्तिगत हैं और ऐसा जरूरी नहीं कि वे यूनिसेफ एवं ममता संस्थान की राय को प्रदर्शित करते हों।
इस पुस्तक में उन बालक एवं बालिका की जो 'देखरेख एवं संरक्षण की श्रेणी' में आते हैं, के परिवर्तित नाम लिखे गए हैं।

Justice Anand Pathak
Administrative Judge
HIGH COURT OF M.P.
Bench Gwalior

Ph. : Offi. : 0751-2402202
Resi. : 0751-2971108

संदेश

UNICEF एक वैश्विक संस्था है जो पिछले 75 वर्षों से मुख्य रूप से बच्चों के विकास के लिए कार्य कर रहा है। UNICEF बच्चों के साथ हो रहे अपराध जैसे कि बाल विवाह, बाल मजदूरी इत्यादि के खिलाफ कदम उठाता है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के बच्चों को स्वास्थ, पोषण, शिक्षा, और सुरक्षा प्रदान करना है।

UNICEF भारत में सदियों से चली आ रही कुप्रथा "बाल विवाह" के खिलाफ विशेष कदम उठाता चला आ रहा है। भारत के कई इलाकों में जहां बाल विवाह कुप्रथा का प्रचलन है, UNICEF विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा लोगो में बाल विवाह और उसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता फैलाने में काफी हद तक सफल रहा है।

बाल विवाह एक ऐसी सामाजिक बुराई है, जो न केवल बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बनाती है बल्कि समाज के विकास में भी बाधा उत्पन्न करती है। विशेषकर भारत जैसे देश में जहाँ एक ओर शिक्षा, विज्ञान और तकनीक की दिशा में तेजी से प्रगति हो रही है, वहीं दूसरी ओर बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ अब भी समाज को पीछे खींचने का प्रयास कर रही है।

बाल विवाह कोई परंपरा नहीं है बल्कि एक अपराध है। समाज के हर नागरिक को इस बुराई के खिलाफ आवाज उठानी होगी। अपने बच्चों को शिक्षा स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य देना ही एक सच्चे अभिभावक की पहचान है।

बाल विवाह की रोकथाम के लिए सरकार, न्यायपालिका और अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं जैसे महिला बाल विकास विभाग एवं अन्य सहयोगी विभागों Shaurya Dal, Student Police Cadet, District Resource Group एवं मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम मिलकर कार्य कर रही

Resi. : Bungalow No. 16-A, Gandhi Road, Gwalior-474002 (M.P.)

Justice Anand Pathak
Administrative Judge
HIGH COURT OF M.P.
Bench Gwalior

Ph. : Offi. : 0751-2402202
Resi. : 0751-2971108

है। स्कूलों में जागरूकता अभियान, कन्या शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएँ, और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम इसके प्रभावी उपाय है। सबसे अहम बात यह है कि समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। जब लोग यह समझेंगे की शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही बच्चों का असली भविष्य है तब ही बाल विवाह की कुप्रथा समाप्त होगी।

यूनिसेफ द्वारा न केवल इन वास्तविक घटनाओं को कहानियों में पिरोकर मध्य प्रदेश व देश के कई इलाकों में पनप रही इस कुप्रथा की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित किया है अपितु बच्चों को शिक्षा तथा स्वास्थ का संदेश भी देने का प्रयास किया है जो स्वागत योग्य है।

इन कहानियों में से एक कहानी जो कि बड़वानी जिले में रहने वाली चिंकी और उसके तीन भाई बहनों की है जिनकी माँ कम उम्र में विवाह कर 04 बच्चों की माँ बन गई और मानसिक रूप से घरेलू हिंसा का शिकार तो बनी ही साथ ही साथ शारिरिक व आर्थिक रूप से तंग आकर चारों बच्चों को छोड़कर चली जाती है। और इस कुप्रथा के दुष्परिणामों के तहत् वो चारों बच्चों का व पूरे परिवार का भविष्य दाव पर लग जाता है।

मैं अपनी ओर से यूनिसेफ एवं महिला बाल विकास विभाग के साथ-साथ अन्य सहयोगी विभागों को भी साधुवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। आशा है कि यूनिसेफ एवं महिला बाल विकास विभाग एवं अन्य संस्थाएं आगे भी समाज सुधार के क्षेत्र में अपना योगदान देते रहेंगे।

शुभकामनाओं सहित ,

न्यायमूर्ति आनंद पाठक
अध्यक्ष किशोर न्याय समिति
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

Resi. : Bungalow No. 16-A, Gandhi Road, Gwalior-474002 (M.P.)

अनिल गुलाटी

संदेश

मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21% हिस्सा किशोरों की आबादी का है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 10 से 19 वर्ष की आयु-वर्ग के तहत आने युवा किशोर कहे जाते हैं। भले ही 18 वर्ष की आयु तक कानूनी रूप से वे बच्चे माने जाते हों, लेकिन यही वह समय है जब वे बचपन से वयस्कता की ओर कदम बढ़ाते हैं, और इस दौरान उनके मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। यही कारण है कि किशोरों के लिए यह सबसे उपयुक्त समय है, जहाँ वे अपने लिए असीम संभावनाएं, अवसर, आकांक्षाएं और सपनों की तलाश कर रहे होते हैं। साथ ही, इस दौरान वे अपने जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि करियर चुनना, रिश्तों की पसंद, आदि में निर्णय लेने का काम भी कर रहे होते हैं।

सामाजिक संरचना के भीतर जैसे-जैसे किशोर बड़े होते जाते हैं, जीवन के इस पड़ाव में उन्हें ज्यादा से ज्यादा सफलता हासिल करने के लिए विशेष देखरेख, और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षित सामाजिक वातावरण, एवं परिवार-आधारित देखरेख उनके समुचित और अर्थपूर्ण वृद्धि और विकास लिए महत्वपूर्ण है।

इन तथ्यों के मद्देनजर और किशोरों के सशक्तिकरण के महत्व को समझते हुए, महिला एवं बाल विकास विभाग ने यूनिसेफ के सहयोग से वर्ष 2018 से मध्य प्रदेश में एक रणनीतिक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरों और युवाओं एवं उनके परिवारों की क्षमताओं और योग्यताओं को सुदृढ़ करना है, विशेष रूप से उन समूहों की जो मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहे, और सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, कौशल और अन्य सशक्तिकरण शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें सहयोग प्रदान करना है, ताकि वे अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बेहतर निर्णय ले सकें, जैसे कि रिश्तों, विवाह, करियर और अन्य प्रमुख मुद्दे जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं।

इस कार्यक्रम को विभिन्न विभागों - शिक्षा, स्वास्थ्य, जनजातीय कार्य, सामाजिक कल्याण, कौशल विकास, खेल एवं और युवा कल्याण, पंचायत और ग्रामीण, राज्य ग्रामीण आजीविका और पुलिस सहित अन्य के साथ मिलकर संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। जबकि कार्यक्रम बच्चों, किशोरों और युवाओं के लिए उनकी सभी विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रमुख परिणामों को बढ़ाने पर केंद्रित है, बाल विवाह और बच्चों के विरुद्ध हिंसा को रोकना कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं।

कहानियों के इस संग्रह में प्रत्येक कहानी अनोखी है और युवाओं और उनके परिवारों की जीवटता और साहस का परिचय देती है। इन कहानियों में किशोर और युवा प्रमुख पात्र हैं जिन्होंने अपने अधिकारों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर अपने जीवन को बदला है।

महिला और बाल विकास विभाग के विभिन्न हितधारकों ने यूनिसेफ और ममता संस्था के साथ मिलकर इस 'परिवर्तनकारी दृष्टिकोण' के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसकी वजह से इस तरह के बदलाव देखने को मिले रहे हैं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि कहानियों का यह संग्रह - **'कहानियाँ बदलाव की'** विभिन्न हितधारकों, समुदायों के साथ-साथ किशोरों और युवाओं, जिनमें लड़के और पुरुष भी शामिल हैं, को प्रेरित करेगा ताकि वे हमारे परिवारों और समुदायों में नकारात्मक सामाजिक मानदंडों को बदलने का प्रयास करें और अपने जैसे सकारात्मक और साहसी लोगों के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करें।

Anil Gulati
Chief of Field Office (a.i)
UNICEF Office for Madhya Pradesh

unicef
for every child

डॉ. सुनील मेहरा

संदेश

हमें यूनिसेफ के साथ प्रकाशित **'कहानियाँ बदलाव की'** प्रस्तुत करते हुए अत्यंत गर्व और हर्ष हो रहा है। यह किशोरियों के सशक्तिकरण और सामाजिक विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, सामूहिक प्रयास की शक्ति की एक झलक है।

लैंगिक समानता के परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देने वाला, किशोर सशक्तिकरण कार्यक्रम, जिला प्रशासन के नेतृत्व एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में, बाल विवाह को समाप्त करने के लिए, बहु-क्षेत्रीय प्रतिक्रिया को विभागीय साझेदारी, समन्वय और सामुदायिक सहभागिता प्रयासों से मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। कार्यक्रम विभिन्न विभागों के सहयोग के साथ जमीनी स्तर पर पहुँच, समाज में सकारात्मक व्यवहारिक और स्थायी बदलाव की दिशा में बढ़ रहा हैं। इस सहयोग में महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग और पुलिस विभाग की सक्रिय भागीदारी सराहनीय रही हैं। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि 15 वर्ष से अधिक आयु की शालात्यागी किशोरियों को उपयुक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण, में शामिल करने के लिए, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता के साथ व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण संस्थानों को शामिल करने के प्रयास जारी है।

यह कहानियां इन्हीं सहयोगात्मक प्रयास और सामाजिक बदलाव को प्रस्तुत कर रही हैं। इन कहानियों में हम देख सकते हैं कि पंचायती राज के प्रतिनिधि, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षकगण, आशा कार्यकर्ता और किशोर हमजोली (पीयर) शिक्षक, कैसे बदलाव के ज़रिया बने। सभी संबंधित विभागों, सामुदायिक हितधारकों, शिक्षकों, स्वास्थ्य व बाल विकास कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, परियोजना टीम के सभी सदस्य, अभिभावकों और किशोर-किशोरियों को इस शुरुआत के लिए बधाई!

मुझे आशा है कि राज्य एवं जिला प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग और यूनिसेफ के समर्थन और समृद्ध अनुभवों से, किशोर सशक्तिकरण कार्यक्रम, किशोरों के लिए बहु-क्षेत्रीय, बहुविभागीय कार्य योजनाएँ और समन्वय और सहयोग, को मजबूत करना जारी रखेगा, जो बाल विवाह को समाप्त करने और हमारे बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अनिवार्य है।

शुभकामनाओं के साथ !

डॉ. सुनील मेहरा

संस्थापक एवं कार्यकारी निदेशक

ममता हेल्थ इंस्टिट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड

MAMTA HIMC
BRIDGE TO HEALTH & BEYOND

अनुक्रमणिका

क्र.स.	कहानी एवं लेखक	पृष्ठ सं.
01.	मैंने हार नहीं मानी... - सुरेश वास्कले	1
02.	कहानी दीये और तूफान की - शैलेश बैरागी	5
03.	मंजिल अभी दूर है... - सोनिक मिश्रा	9
04.	हंसी लौट आई - सोनिक मिश्रा	11
05.	मेरा संघर्ष मेरी जुबानी - हर्षलता चौहान	13
06.	जख्मों पर मरहम - नीलेश दुबे	15
07.	विश्वास की जीत - वीरेन्द्र जैन	17
08.	कोशिश करने वालों की हार नहीं होती - राजेश शर्मा	19
09.	एसपीसी: ज़िद के आगे जीत है - शिवानी वाजपेयी	21
10.	वेस्ती का दाना-पानी - जीमी निर्मल	25
11.	बदलाव की नई ईबारत - अमित शिंदे	27
12.	सपने की राह - लखन मकवाना	31
13.	मुझे रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना है ... - लल्लन प्रसाद गोंड	35
14.	सफर अभी जारी है... - कल्पना रायजादा	39
15.	रौशन ज़िन्दगी - अरविन्द मिश्रा	43

01- मैंने हार नहीं मानी...

- *सुरेश वास्कले*

घर पर रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि उस दिन शांतिलाल की शादी पक्की होने वाली थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किसी तरह हिम्मत बांधकर उसने चाइल्ड हेल्पलाइन को फोन कर दिया। टीम आई और बहुत बहस हुई। सभी को यह लग रहा था कि वे तो परंपरा निभा रहे हैं और आखिर यह ख़बर दी किसने। उधर शांतिलाल सोच रहा था यह तो उसका आधिकार है कि उसका बाल विवाह न हो, पर यह डर भी लग रहा था कि किसी को यह पता न चल जाए कि उसने ही अपनी शादी रुकवाने के लिये सूचना दी है। बहरहाल शांतिलाल को शांति तब मिली, जब उसे यह पता चला कि उसकी शादी रुक गई है। वर्तमान में वह विज्ञान विषय से पढ़ाई कर रहा है और डॉक्टर बनने के अपने सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

शांतिलाल, अलिराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा ब्लॉक के ध्याना गाँव का एक 15 वर्षीय लड़का, उस दिन बहुत घबराया हुआ था जब उसने अपने माता-पिता को उसकी शादी के बारे में बात करते हुए सुना। उसके माता-पिता ने उसकी शादी के लिए एक लड़की देखी थी, जो उम्र में उससे 6 साल बड़ी थी। हालांकि, शांतिलाल अभी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता था और शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वह जानता था कि वह अपने पिता के निर्णय के विरूद्ध नहीं जा सकता है।

ज्ञात हो कि शांतिलाल का परिवार आदिवासी समुदाय से था, जहाँ बच्चों की शादी उनके वयस्क होने से पहले ही कर दी जाती थी। यह सामाजिक परम्परा और नियमों के अनुसार बिलकुल भी गलत नहीं माना जाता था। शांतिलाल अपने गाँव के पास ही कट्ठीवाड़ा में स्कूल जाता था और पढ़ाई में अच्छा था। वह शादी करके अपनी पढ़ाई को बीच में ही नहीं रोकना चाहता था।

एक दिन, शांतिलाल के माता-पिता ने उससे शादी के संबंध में बात करते हुए कहा, "बेटा, हमने तेरी शादी करने का फैसला किया है और तेरे लिए लड़की देख रखी है"। यह सुनकर शांतिलाल ने अपने पिता से कहा कि वह अभी शादी नहीं करना चाहता और आगे पढ़ाई जारी रखते हुए डॉक्टर बनना चाहता है। लेकिन उसके पिता ने कहा, "तेरी बहनों की शादी के बाद घर में हम तीन लोग ही रह गये हैं। हमें घर में काम करने और घर सम्भालने के लिए कोई चाहिए, इसलिए हमने तेरी शादी का फैसला लिया है"।

शांतिलाल नहीं माना और उसने मना कर दिया। उसके माता-पिता ने कई बार उसे मनाने की कोशिश की लेकिन फिर भी शांतिलाल नहीं माना। तब उसके पिता ने गुस्से में कहा, "तुझे शादी करनी ही होगी"। अब शांतिलाल चिंतित हो गया, उसे लगा कि अब उसके लिए उसकी शादी रोक पाना मुश्किल है। वह बहुत दबाव में था, एक तरफ परिवार वालों की इच्छा थी कि बेटे की शादी हो जाए ताकि कोई घर सम्भालने वाला आ जाए, वहीं दूसरी तरफ वह पढ़-लिखकर अपने जीवन में कुछ बनना चाहता था।

शांतिलाल पर पारिवारिक दबाव के साथ-साथ रिश्तेदारों और आस-पड़ोस के लोगों का भी दबाव था। वे सभी यही कह रहे थे, "वो पढ़-लिख कर ऐसा क्या कर लेगा? गांव में उसकी उम्र के सभी लोग तो शादी करते हैं फिर उसके साथ क्या ऐसा नया हो रहा है।" परिवार वाले भी यही चाहते थे कि वो भी बाकी लड़कों की तरह शादी कर अपने घर के कामों में मदद करे लेकिन शांतिलाल आगे पढ़ना चाहता था, इसलिए वो शादी के लिए तैयार नहीं था।

जब समाज के लोग उसके घर शादी की बात तय करने आए, तब शांतिलाल ने चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) पर कॉल करके अपनी शादी रुकवाने की सोची। उसे यह पता था कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने से उसे मदद जरूर मिलेगी। हालांकि शांतिलाल यह अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसके परिवार वालों को यह पता चल गया कि उसने अपनी शादी रुकवाने की कोशिश की है तो मामला बिगड़ भी सकता है। डर और संशय की मनःस्थिति में शांतिलाल क्या करे, क्या ना करे सोच रहा था और वह यह बात किसी को बता भी नहीं पा रहा था।

ऐसी स्थिति में उसने अपने माता-पिता को हर तरह से समझाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने और उसकी शादी तय कर दी गई, इधर शांतिलाल का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था कि अब वह क्या करे, उधर उसकी वार्षिक परीक्षा का समय भी नजदीक आ रहा था। हालांकि उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसकी शादी उसकी परीक्षा के बाद ही होगी। उसने सोचा तब तक तो वह कोई हल निकाल ही लेगा।

शांतिलाल अपनी शादी को रोकने के बारे में सोचता रहता था, इसी बीच उसे याद आया कि स्कूल में एक बार चाइल्ड लाइन के द्वारा बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण विषयों पर जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया था। यह आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किशोर सशक्तिकरण एवं बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया था। सत्र के दौरान बाल विवाह के विषय पर बातचीत करते हुए यह बताया गया था कि 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह करना कानूनन अपराध है क्योंकि यह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। इसके साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) के बारे में भी जानकारी दी गई थी।

आखिरकार शांतिलाल ने अपनी हिम्मत बटोरकर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर कॉल करके अपनी शादी रुकवाने के लिए मदद मांग ही ली। चाइल्ड हेल्प लाइन ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए यह बात बाल कल्याण समिति के सामने रखी। ज्ञात हो कि बाल कल्याण समिति जिले में देख-रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के बेहतर देखरेख और पुनर्वास हेतु एक कानून सम्मत व्यवस्था है। इस समिति का गठन किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत किया जाता है, जो बच्चों की देखभाल व सुरक्षा को सुनिश्चित करती है।

यह जिले में पहला मामला था जब चाइल्ड हेल्पलाइन से किसी लड़के ने स्वयं अपने बाल विवाह को रोकने के लिए मदद मांगी थी। मामले की गंभीरता को समझते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन ने जिला कार्यक्रम अधिकारी (म.बा.वि.) एवं बाल कल्याण समिति को लिखित जानकारी दी। जिसके बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी ने एक दल गठित किया, जिसमें बाल कल्याण समिति, चाइल्ड हेल्पलाइन, और पुलिस (विशेष किशोर पुलिस इकाई) के सदस्य शामिल थे।

इस दल के सभी सदस्य एक साथ जब शांतिलाल के घर पहुंचे तो उसके घर में मेहमान और गाँव के लोग पहले से ही मौजूद थे। वहां सरपंच, गाँव पटेल और समाज के पंचों के सामने शांतिलाल की शादी अभी ना करते हुए, सही उम्र में उसकी शादी करने की बात को लेकर समाज के लोग और दल के सदस्यों के बीच काफी बहस हुई। इस दौरान गांव के लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह शिकायत आखिर किसने की है। इन सब बातों के बीच शांतिलाल बहुत ज्यादा डरा और घबराया हुआ था।

परिवार वाले और गाँव के पटेल शांतिलाल की शादी को लेकर बार-बार यह बात कह रहे थे कि उसकी शादी करके हम क्या बुरा कर रहे हैं, यह तो समाज की परंपरा है और हम उसी का पालन कर रहे हैं। अंत में काफी जद्दोजहद के बाद दल ने उन्हें किसी तरह से शांतिलाल की शादी अभी न करने के लिए मना लिया। शांतिलाल के परिवार वाले मान गए और उन्होंने आश्वासन दिया कि वह उसकी शादी सही उम्र में ही करेंगे ताकि शांतिलाल अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। शांतिलाल से संपर्क कर जब उसकी वर्तमान स्थिति जानने की कोशिश की गई तो उसने बताया कि वह अभी कक्षा 12वी में विज्ञान विषय लेकर पढ़ाई कर रहा है। जब शांतिलाल से मिलने के लिए कहा गया तो उसने मिलने से मना कर दिया। शांतिलाल अपनी शादी रूकवाने के विषय में लोगों से बात करने से बचता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसके घर वालों को ये पता न चल जाये कि उसने स्वयं अपनी शादी रूकवाई है लेकिन यह एक अच्छी बात है कि वह अब अपनी पढ़ाई कर रहा है और अपना सपना पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा है।

शांतिलाल की कहानी सिर्फ उसकी व्यक्तिगत सफलता की नहीं है बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो समाज की परंपराओं और दबावों के बावजूद अपने सपनों को जीने की हिम्मत रखते हैं। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में बदलाव लाने की इच्छा रखता है।

●●●

02- कहानी दीये और तूफान की

- शैलेश बैरागी

बाल विवाह से पीड़ित उसकी माँ कम उम्र में ही 4 बच्चों की माँ बन गई। पिता नशे का सेवन करता, माँ और बच्चों को मारता और उन्हें उनके हाल पर छोड़ देता। घरेलू हिंसा की शिकार हुई माँ के सब्र का बांध आखिर एक दिन टूट ही गया, वो घर छोड़ कर चली गई। 4 बच्चे, दादी के पास रह गये पर उन्होंने भी क्रूरता की हद पार कर दी, कुपोषित पोते का गला दबाने का प्रयास किया। जिले के समस्त हितधारकों के समर्पित प्रयासों ने इन बच्चों को बचाया और उन्हें सुरक्षित जीवन प्रदान किया। यह कहानी उन नायकों की प्रेरक यात्रा को दर्शाती है जिन्होंने अपने जुनून, संवेदनशीलता और दृढ़ता से बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए संघर्ष किया।

2022 की एक सुबह मैं ऑफिस जाने के लिए निकल ही रहा था कि मुझे चाइल्ड हेल्पलाइन कार्यकर्ता गणेश का फोन आया। उन्होंने बताया कि एक 6 वर्षीय बालक को रेस्क्यू किया गया है और बाल कल्याण समिति उसे बाल देखरेख संस्था कुक्षी भेज रही है। मैंने सहज ही पूछ लिया कि बच्चा किस हालत में है और कहाँ से रेस्क्यू किया गया है। गणेश ने बताया, "पाटी के पटेल फल्या का बालक है, उसके पिता ने ही उसे पीट कर घायल किया था।" मैंने जवाब दिया, "ठीक है, मैं भी आता हूँ।"

बड़वानी जिले में बाल देखरेख संस्था नहीं है, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को धार जिले की कुक्षी संस्था में भेजा जाता है। इस बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उसे भी बाल देखरेख संस्थान कुक्षी भेजने का निर्णय लिया गया।

मैं बाल कल्याण समिति कार्यालय के लिए निकल पड़ा। ज्ञात हो कि बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत गठित एक समिति होती है, जो जिले में बच्चों के उचित देखरेख और संरक्षण के लिए काम करती है। मैंने बाल कल्याण समिति कार्यालय में देखा कि एक बालक बैठा हुआ है, उसके हाथ में एक खिलौना भी है। बालक निश्छल भाव से बात कर रहा है और खेल रहा है। मैंने बालक से मुस्कराते हुए उसका नाम पूछा, वह चुप रहा। मैंने फिर पूछा, "कहाँ रहते हो?", बालक पटेल फलिया (मोहल्ला) बोलकर फिर चुप हो गया। चूँकि यह बालक भी पटेल फलिया का ही था, इसलिए मुझे पटेल फलिया की एक और बालिका चिंकी (परिवर्तित नाम) का प्रकरण याद आ गया। समिति ने भी उस प्रकरण के बारे में मुझसे पूछा।

मैंने बताया कि जनवरी 22 में पटेल फलिया से ही अति कुपोषित बालिका चिंकी को एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के प्रयासों से उपचार हेतु पोषण पुनर्वास केंद्र (एन.आर.सी.) लाया गया था, लेकिन उसका उपचार पूरा होने से पहले ही वह कहीं चली गई। बालक जो अभी तक मुझे चुपचाप देख रहा था, अचानक बोल उठा, "चिंकी मारी बहन छै। (चिंकी मेरी बहन है)" अब इस प्रकरण में मेरी रुचि बढ़ने लगी। ज्ञात हो कि जब चिंकी को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुनीता के माध्यम से भर्ती किया गया था तब वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वह एक दिन ही यहाँ रही थी कि उसके पिता कुंजीलाल (परिवर्तित नाम) ने उसकी माँ सुनीता (परिवर्तित नाम) के साथ मारपीट की, और उसे वापस ले गया। इसके पीछे कारण यह बताया था कि घर में 3 बच्चे और हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा?

चिंकी की हालत ख़राब थी, लिहाजा संगीता ने अपनी पर्यवेक्षक (सुपरवाइज़र) का सहयोग लिया। पर्यवेक्षक ने सुनीता के पति को समझाया, लेकिन वह नहीं माना। चिंकी के बारे में

सुनीता और उसके पति से मिलने जिले से टीम गई, जिसमें मैं भी था। खबर मिलते ही सुनीता नजदीकी दूसरे गाँव चली गई और पति भी नदारद था, हालाँकि स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता सावन चौहान की समझाईश के बाद एक बार फिर चिंकी को एन.आर.सी. लाया गया। लगातार प्रयास से चार दिन में ही चिंकी के चेहरे पर चमक और उसके स्वास्थ्य में सुधार दिखने लगा था। पाँचवे दिन कुंजीलाल शराब के नशे में एन.आर.सी. आया और सुनीता और चिंकी को ले गया। सारे प्रयास विफल होते देख, इस बार चिंकी को रेस्क्यू करने के लिए टीम गठित की गई लेकिन जब टीम चिंकी के घर पहुँची, तब तक वह परिवार आजीविका के लिए कहीं राज्य से बाहर पलायन कर गया। इसके बाद चिंकी के साथ क्या हुआ, यह जानना असंभव सा हो गया था। ज्ञात हो कि बड़वानी जिले का पाटी विकासखंड देश के सबसे पिछड़े 10 विकासखंडों में से एक है। आर्थिक पिछड़ेपन के कारण यहाँ के लोग रोजी-रोटी के लिए साल के कुछ माह अन्य राज्यों में पलायन करते हैं।

बाल कल्याण समिति कार्यालय में बैठे बच्चे से यह सुनने के बाद कि चिंकी अभी घर पर ही है, टीम एक बार फिर से सक्रिय हुई। इस बार चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से रेस्क्यू कराने का तय किया। चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक ललिता, पटेल फलिया पहुँचीं। वहां एक झोपड़ी में ज़मीन पर एक बच्ची लगभग बेहोशी की हालत में थी। उसकी सांसें चल रही थीं, मगर हाथ और पैर के नाखून गलने लगे थे। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम को पड़ोसियों से पता चला कि चिंकी की माँ अपने पति की नशे की आदत और मारपीट से तंग आकर घर छोड़कर चली गई है। बच्चे दादी के पास ही रहते हैं पर पिता उन्हें मारता रहता है। चिंकी के तीन बड़े भाईयों में से एक को मामा ले गए और दो भाई यहीं पर थे, वे भी उपेक्षा का शिकार थे। बहरहाल टीम ने तुरंत स्थानीय पुलिस और अस्पताल की टीम को बुलाया और बेसुध चिंकी को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। अस्पताल में पदस्थ कर्मचारी भी चिंकी को देखते ही पहचान गये। चिंकी के पास अस्पताल में रुकने के लिए कोई नहीं था लिहाजा परियोजना अधिकारी ने एक सामाजिक

कार्यकर्ता को यहाँ नियुक्त किया। एन.आर.सी. में भी बहुत जतन करने के बाद भी चिंकी खाना नहीं खाती थी। तभी वहां एक दिन उससे मिलने आई पड़ोस की महिला ने बताया कि उसे इस तरह से खाने की आदत नहीं है, बल्कि आप रोटी के टुकड़े जमीन पर डाल दो, क्योंकि उसकी दादी उसे ऐसे ही खाना देती थी। यह तरीका अमानवीय तो था लेकिन काम कर गया, धीरे-धीरे उसकी आदत में बदलाव आया।

चिंकी की एनआरसी से छुट्टी होने के बाद उसे घर न भेजते हुए बाल कल्याण समिति ने उसे मातृछाया इंदौर भेजा ताकि वहां पर उसका उपचार भी हो सके और उसका सर्वोत्तम हित सुनिश्चित किया जा सके साथ ही दूसरे बच्चे के बारे में भी बाल कल्याण समिति ने उचित फैसला लिया।

दोनों बच्चों की इस तरह से उपेक्षा के पीछे क्या कारण रहे, इस पर अभी भी पूरे जवाब नहीं मिल सके हैं। कुछ सवाल आज भी अनुत्तरित हैं जैसे इस तरह की घटनाओं के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार? वो माँ, जो कि 15 साल की उम्र में बाल विवाह की शिकार थी और जल्द ही 4 बच्चों की माँ बन गयी ! पिता के नशे की लत या क्षेत्र में मौजूद आर्थिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन ? इन तमाम सवालों के बीच यह कहानी वैसे तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संगीता के जुनून से शुरु हुई थी लेकिन समस्त हितधारकों के संवेदनशील प्रयासों से साबित होता है कि स्वयंसेवी संस्था ममता द्वारा जिले में बाल संरक्षण पदाधिकारियों का सतत् प्रशिक्षण और संवेदीकरण सार्थक सिद्ध हुआ। यह कहानी बताती है कि जब सभी हितधारक साथ मिलकर काम करते हैं, तो बच्चों के पक्ष में सकारात्मक माहौल बनता है।

●●●

03- मंजिल अभी दूर है...

- सोनिक मिश्रा

एक साधारण परिवार में पली-बढ़ी राधा के जीवन में तब कठिनाई आई, जब उसकी बड़ी बहन ने प्रेम विवाह कर लिया, जिससे उसके पिता ने राधा की भी जल्द शादी तय कर दी। राधा के लिए उसके सपने और उसकी शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण थे। स्कूल में आयोजित किशोर सशक्तिकरण कार्यक्रम के माध्यम से उसे बाल विवाह की रोकथाम के बारे में जानकारी मिली। अपने शिक्षकों और साथियों की मदद से, उसने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया और अपने पिता को यह समझाने में सफल रही कि उसे आगे पढ़ने दिया जाए। राधा की कहानी समाज में सकारात्मक बदलाव और लड़कियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता की एक मिसाल है।

मैं राधा, भोपाल जिले के बागमुगलिया क्षेत्र में रहती हूं और कक्षा 10वीं की छात्रा हूं। मेरे परिवार में माता-पिता के अलावा एक छोटा भाई और दो बहनें हैं। दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। पिता, लाल बहादुर, एक डेयरी व्यवसाय के ठेकेदार के यहां मजदूरी करते हैं और मेरी माँ एक स्कूल में सफाई का काम करती हैं। संघर्षों के साथ मेरा जीवन ठीक चल रहा था। अचानक एक दिन पता चला कि मेरी बहन ने प्रेम विवाह कर लिया और इसके बाद मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई।

बड़ी बहन के इस कदम का प्रभाव अब मेरी जिंदगी पर भी पड़ने लगा। मेरे पिता मेरी शादी को लेकर परेशान रहने लगे, उन्हें इस बात की चिंता थी कि कहीं मैं भी अपनी बड़ी बहन की तरह प्रेम विवाह न कर लूं। जबकि पिता की आशंका निराधार थी क्योंकि मेरे लिए मेरे सपने और मेरी पढ़ाई ज्यादा मायने रखते थे, लेकिन पिता इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने अपनी मर्जी से मेरी शादी तय कर दी। न मुझसे पूछा गया, न मुझे बताया गया, अब परेशानी उनके कंधे से उतरकर मेरे कंधे पर आ बैठी।

मैंने पिता को मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन पिता नहीं माने। मुझे लगने लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, शादी का दिन धीरे-धीरे नजदीक आ रहा था। उन्हीं दिनों स्कूल में किशोर सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत बाल विवाह रोकथाम पर केंद्रित एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हमें बताया गया कि 18 साल से पहले लड़की और 21 साल से पहले लड़के की शादी करना गैरकानूनी है। साथ ही यह भी बताया गया कि बाल विवाह के मामले में जानकारी देने या किसी तरह की सहायता के लिए अपने शिक्षक को सूचित कर सकते हैं।

यह मेरे लिए डूबते को तिनके का सहारा जैसा था। स्कूल में किशोर सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे समूह में समय-समय पर बाल संरक्षण से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण होता था और हम सभी उसमें हिस्सा लेते थे। मैंने अपनी शादी की समस्या को लेकर अपने समूह के साथियों से बात की और हमने यह निर्णय लिया कि हमें इस बारे में अपने प्रिंसिपल से चर्चा करनी चाहिए। हम सब प्रिंसिपल महोदया के ऑफिस में गए और उन्हें सारी बातें बताईं। साथ ही उनसे अनुरोध किया कि मेरे घर वालों को पता न चले कि मैंने अपनी शादी रुकवाने के लिए उनसे मदद मांगी है।

प्रिंसिपल मैडम ने यह आश्वासन दिया कि वह इस बात का ध्यान रखेंगी और उन्होंने मेरी मदद के लिए तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर कॉल किया और मेरी समस्या की जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम, विशेष किशोर पुलिस इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग और स्थानीय पुलिस का एक दल हमारे घर आया। बातचीत के दौरान टीम ने पाया कि मेरी उम्र 18 साल से कम है और मैं अभी कक्षा 10 में ही पढ़ती हूँ।

चाइल्ड लाइन की टीम के सदस्य द्वारा पूछने पर पहले तो पापा ने मेरी शादी की बात को स्वीकार करने से मना कर दिया।

तब विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्य ने पापा से सख्ती से पूछताछ करते हुए कहा, "छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी करना गैरकानूनी है । ऐसा करने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार जेल भी हो सकती है।" यह सुनकर मेरे पापा गुस्से से भर उठे और भड़कते हुए कहा, "कौन सा कानून और कैसा क़ानून ? लड़की हमारी है, मुझे अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो मैं शादी कर रहा हूं, इसमें कानून कहां से आ गया ? कल को ये भाग जाएगी तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे ?"

इसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग के सदस्य ने पापा को जीवन में शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि लड़की अभी पढ़ रही है, उसे पढ़ने दीजिये, उसे अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिये । वह भी पैसा कमाकर अपने परिवार का सहारा बन सकती है। इस बात पर पापा थोड़ा पिघले लेकिन राजी नहीं हुए। लेकिन जब उन्हें शादी के दुष्परिणामों के बारे में समझाया गया कि कम उम्र में शादी करने पर लड़की का जीवन प्रभावित होता है, उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं हो पाता और उसके जीवन पर भी खतरा बना रहता है। इसके अलावा, कम उम्र में शादी करने से लड़की और उसके परिवार को भी नुकसान होता है।

मेरे पिता ने सभी बातें ध्यान से सुनीं और अचानक से रोने लगे । उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि कम उम्र में बेटी की शादी करने से उसका जीवन इस तरह से खराब हो जाएगा। उन्होंने वादा किया, "मैं अपनी बेटी का विवाह इतनी जल्दी नहीं करूंगा, उसे आगे पढ़ने और बढ़ने दूंगा।" मैं यह सब सुनकर बहुत खुश हुई कि मेरे हौसलों की उड़ान जारी रहेगी, मैंने एक पड़ाव तो पार कर लिया है, लेकिन मंजिल अभी दूर है।

मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन हुआ उसका श्रेय मैं किशोर सशक्तिकरण कार्यक्रम, प्रिंसिपल, चाइल्ड हेल्पलाइन टीम, महिला एवं बाल विकास विभाग और विशेष किशोर पुलिस इकाई को देती हूँ।

04- हंसी लौट आई

- सोनिक मिश्रा

रूबी, 15 साल की हंसमुख और चंचल लड़की, अपने खुशमिजाज स्वभाव के लिए जानी जाती थी। लेकिन एक दिन, स्कूल में उसका मन नहीं लग रहा था। न पढ़ाई में ध्यान था, न सहेलियों से गप-शप में। उसकी उदासी देखकर सहेलियां चिंतित हो गईं और जब उसने भावनाओं के उबाल में कहा कि वह घर नहीं जाना चाहती, तो उन्होंने उसकी मदद का निर्णय लिया। रूबी की स्थिति को समझने और उसका समाधान निकालने में सहेलियों और टीचर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस यात्रा में रूबी को अपनी परेशानियों से निकलने का रास्ता मिला और उसने आत्मविश्वास और सशक्तिकरण का नया पाठ सीखा। रूबी की कहानी संघर्ष और प्रेरणा की एक मिसाल है, जो सही मार्गदर्शन और समर्थन से किसी भी कठिनाई का सामना करने की ताकत देती है।

हर रोज़ हँसने खिलखिलाने वाली 15 साल की रूबी का आज स्कूल में मन नहीं लग रहा था। न वह पढ़ाई कर रही थी, न सहेलियों से गप-शप। उसने लंच भी नहीं किया और पूरे दिन उदास रही। सहेलियों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। टीचर के पूछने पर सिर दर्द का बहाना बना दिया।

स्कूल की छुट्टी के बाद, जब रूबी कहीं नहीं दिखी, तो सहेलियां चिंतित हो गईं और स्कूल का कोना-कोना छान मारा, लेकिन रूबी का पता नहीं चला। वे सोचने लगीं कि शायद रूबी जल्दी घर चली गई हो। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें रास्ते में रूबी दिखाई दी, जो अभी भी उतनी ही परेशान और उदास थी जितनी क्लास में थी।

सहेलियों ने उसे घर चलने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। बार-बार आग्रह करने पर वह झल्ला गई और चीखते हुए बोली, "वो मेरा घर नहीं है... नहीं जाना मुझे उस घर में...।" हमेशा खिलखिलाने वाली रूबी का यह व्यवहार देखकर सहेलियां चकित रह गईं। एक सहेली राखी ने डरते-डरते पूछा, "घर नहीं जाओगी तो कहां जाओगी?" यह सुनकर रूबी ने डबडबाई आँखों से कहा, "कहीं भी जाऊंगी लेकिन घर नहीं जाऊंगी... और अगर किसी ने मुझसे घर जाने पर मजबूर किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी।" यह सुनकर सारी सहेलियां घबरा गईं। राखी ने सभी को रूबी के पास रुकने का इशारा किया और दौड़ते हुए स्कूल वापस गई।

गनीमत थी कि स्कूल में अब भी जीवन कौशल शिक्षा की

टीचर मौजूद थीं, जो परामर्शदाता होने के साथ-साथ किशोर सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तर पर बाल संरक्षण समूह की सदस्य भी हैं। राखी ने उन्हें पूरी बात बताई।

टीचर रूबी के पास गईं और प्यार से पूछा, "क्या हुआ रूबी?" टीचर को देखते ही रूबी फफक-फफक कर रोने लगी। टीचर ने रूबी को सहेलियों से दूर पेड़ की छांव में ले जाकर आराम से बात की। रूबी ने रोते हुए बताया, "मेरी मम्मी एक निजी चिकित्सालय में नर्स हैं और उन्होंने मेरे पापा को छोड़कर दूसरी शादी कर ली है। मम्मी अब मेरे सातैले पिता के साथ रहती हैं, जिनका व्यवहार मेरे प्रति ठीक नहीं है। वे मुझे बिना कारण डांटते रहते हैं और मम्मी भी उनका साथ देती हैं। जिस घर में मुझे कोई समझने वाला नहीं हो, वहां जाने से क्या मतलब है"।

टीचर ने ध्यान से सुना और प्यार से समझाया, "देखो, तुम पढ़ने में बहुत अच्छी हो और हम सब तुमसे प्यार करते हैं। तुम्हारी सहेलियां भी तुम्हारी तारीफ करती हैं। तुम अपनी मम्मी से इस बारे में बात करो। अगर वे नहीं सुनतीं, तो हम उनसे बात करके तुम्हारी मदद करेंगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम अपने आपको अकेला मत समझो, फिलहाल तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो।"

रूबी ने अपनी सहेलियों की ओर देखा, सबने एक सुर में कहा, "हम सब तुम्हारे साथ हैं।" टीचर ने मुस्कुराते हुए इशारे से पूछा कि अब क्या इरादा है। रूबी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, "टीचर, मैं घर जाउंगी। अब मैं कुछ बन कर दिखाऊंगी। मुझे जो भी परेशानी होगी, उसे मम्मी से बताऊंगी और अगर जरूरत पड़ी, तो आपसे भी बात करूंगी।"

टीचर की बातों से रूबी पूरी तरह आश्वस्त हो गई और अपनी सहेलियों के साथ हंसते-मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर चल पड़ी।

इस घटना के बाद रूबी ने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव महसूस किया। वह जान गई कि उसके पास एक सहारा है, एक समर्थन प्रणाली है जो उसे मुश्किलों से निकाल सकती है। उसके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और उसने निश्चय किया कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। रूबी ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और स्कूल की गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई और वह स्कूल की सबसे होशियार छात्राओं में से एक बन गई। रूबी ने अपनी मम्मी से बात की और अपनी परेशानियों को साझा किया। पहले तो मम्मी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन रूबी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने टीचर की मदद ली और मम्मी को समझाने में सफल रही। मम्मी ने भी अपनी गलती मानी और रूबी को भरोसा दिलाया कि अब से वह उसका साथ देंगी।

इस तरह, रूबी की जिंदगी में धीरे-धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। उसने यह साबित कर दिया कि हिम्मत और सही मार्गदर्शन से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। उसकी सहेलियों ने भी उससे प्रेरणा ली और सबने मिलकर यह ठान लिया कि किसी भी साथी को मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ेंगे।

रूबी की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत आवश्यक है और सही समर्थन प्रणाली की मदद से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं।

05- मेरा संघर्ष मेरी जुबानी

- हर्षलता चौहान

सामान्य से सपने देखने वाली मध्यमवर्गीय परिवार की लड़की अदिति को आवाज संस्थान द्वारा दी गई 'आगाज़ इंटर्नशिप' मिली और इसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। उसने बाल अधिकार, लैंगिक भेदभाव, और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर काम किया और लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए। विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर, कई पुरस्कार जीते और जिले में प्रेरणा का स्रोत बनी। वह कहती है कि आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन ने मेरे जीवन को बदल दिया है अब मैं अपने जैसी अन्य लड़कियों को जागरुक करने और उनके जीवन में बदलाव लाने का प्रयास कर रही हूँ।

मैं अदिति मिश्रा, मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मी एक साधारण लड़की हूँ। मेरे सपने भी सामान्य हैं। आर्थिक तंगी के कारण बच्चों की ख्वाहिशें कई बार मर जाती हैं, इसलिए मैं ऐसे सपने नहीं देखती जिनकी कोई जमीन न हो। मेरे पिता खेती-मजदूरी करते हैं और मेरी माँ सिलाई का काम करती हैं। मेरा छोटा भाई बहुत सारी बातें नहीं समझता, लेकिन मैं 17 साल की हो चुकी हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से कोई अतिरिक्त भार मेरे माता-पिता पर न पड़े। मैं न तो किसी चीज की ज़िद करती हूँ, न ही स्कूल की किसी ऐसी गतिविधि में हिस्सा लेती हूँ जिसमें खर्च हो। यही वजह है कि मैंने आज तक स्कूल के किसी कार्यक्रम में कभी हिस्सा नहीं लिया। मैं पढ़-लिखकर कुछ बनकर ही अपने माँ-बाप का बोझ कम करना चाहती हूँ, इसलिए मन लगाकर पढ़ाई करती हूँ और परीक्षा में मेरे नंबर भी अच्छे आते हैं।

जिंदगी अपनी रफ्तार से चल ही रही थी कि कोरोना का दौर आया। हर तरफ सन्नाटा पसर गया, आवाजाही बंद हो गई, शहर वीरान हो गए। इस कठिनाई को मैंने स्वीकारा और संघर्ष किया। आवाज संस्था ने मध्यप्रदेश के किशोर-किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु 'आगाज़ इंटर्नशिप' नामक एक मुहिम चलाई। इसके तहत किशोर-किशोरियों को पॉक्सो एक्ट, जे.जे. एक्ट, बच्चों के अधिकारों, बाल-विवाह, मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर प्रशिक्षित किया गया। मुझे ममता संस्थान के जिला समन्वयक द्वारा इसकी जानकारी मिली। मेरी रुचि शिक्षा में हमेशा से रही है, इसलिए मैंने भी इसके लिए आवेदन दिया।

5 सितम्बर 2021 को बुरहानपुर जिले से हम तीन किशोर आगाज़ इंटर्नशिप के लिए चयनित हुए। हमने लैंगिक भेदभाव को रोकने और बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जैसे नुक्कड़ नाटक, जागरूकता रैली, चित्रकला और जेंडर फ्रेंडली क्रिकेट मैच। यह मेरे जीवन का बहुत ही आह्लादित करने वाला अनुभव रहा, जब मैंने शिक्षा के अतिरिक्त किसी अन्य कार्यक्रम में भाग लेकर पुरस्कार जीता। मेरा जीवन अचानक बदल गया। बाल विवाह, बाल श्रम और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर अधिक लोगों को जागरुक करने के लिए समुदाय में चेंज एजेंट के रूप में मेरे साथ-साथ शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय और शासकीय कन्या विद्यालय की कक्षा 9 से 12वीं तक की कई छात्राओं को शामिल किया गया।

ममता, आवाज संस्थान और यूनिसेफ ने हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए पूर्ण समर्थन, मार्गदर्शन और अवसर प्रदान किया। हमने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर बाल संरक्षण और महिला अधिकार से संबंधित मुद्दों में जिला प्रशासन की नीतियों और प्रक्रियाओं को समझा। इसके बाद मैंने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं जैसे नुक्कड़ नाटक, चित्रकला, भाषण, युवा संसद आदि में भाग लिया। जुलाई 2022 में युवा पंचायत कार्यक्रम के तहत एक निबंध प्रतियोगिता में मैंने जिले में प्रथम स्थान और राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त किया। माननीय (पूर्व) मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और (पूर्व) खेल मंत्री श्रीमति यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा मुझे प्रमाणपत्र और 5000 रुपये की सम्मान राशि दी।

इसके बाद तो जैसे हर रोज़ नए रास्ते खुलने लगे। मैं नेहरू युवा केंद्र, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के साथ जुड़ गई। 5 सितंबर 2022 को 'माँ तुझे प्रणाम' योजना के तहत हुसैनीवाला बॉर्डर, वाघा बॉर्डर, स्वर्ण मंदिर, दुर्गाना मंदिर, अमृतसर पंजाब की शैक्षणिक यात्रा का मुझे अवसर मिला। यात्रा से लौटने के बाद मैंने शहीद चन्द्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु के स्मारक से मिट्टी और जल लाकर तत्कालीन जिला कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह को भेंट स्वरूप दिया।

इसी बीच मुझे जानकारी मिली कि यूनिसेफ दिल्ली में आयोजित यूथ क्लाइमेट कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए मध्यप्रदेश से 7 युवाओं के नाम प्रस्तावित किए गए थे। बुरहानपुर जिले से ममता के जिला समन्वयक ने मेरा नाम प्रस्तावित किया। इस तरह 19 से 21 फरवरी 2023 तक यूथ क्लाइमेट कॉन्क्लेव के तहत क्षमता निर्माण तकनीकी सत्र में मुझे और मेरी साथी समीना को भाग लेने का मौका मिला। हमने जलवायु परिवर्तन, जी-20, मिशन लाइफ, क्लाइमेट एक्शन के बारे में सीखा। वापस लौटकर मैंने अपने अनुभव साझा किए और जिले में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया।

अब विभागों द्वारा कई कार्यक्रमों में मुझे बुलाया जाता है और बुरहानपुर के मेरे अन्य साथियों को प्रेरणा देने के लिए मेरे उदाहरण दिए जाते हैं। मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रही हूं। मैंने 12वीं कक्षा 73% अंक से पास कर ली और BCA कोर्स में प्रवेश ले लिया। इसके साथ ही मैं आस-पड़ोस के 10-12 बच्चों को भी पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है यह बात मुझे अच्छी तरह समझ में आ गयी है। अब मेरी कोशिश है कि मैं अपने जैसी अन्य लड़कियों को जागरुक कर सकूं और उनके जीवन में बदलाव का जरिया बन सकूं।

06- जख्मों पर मरहम

- नीलेश दुबे

एक बच्चे के सिर से उसके माँ-बाप का साया उठ जाना उसके जीवन की अपूरणीय क्षति है। ऐसे में वे बच्चे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में आ जाते हैं। ऐसे बच्चों को समाज एवं प्रशासन संरक्षण, सहारा और व्यक्तित्व निर्माण का अवसर प्रदान करते हैं। इस कथा के केंद्र में एक अनोखे और प्रेरणादायक चरित्र, राधा है , जो छिंदवाड़ा जिले की एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। राधा का काम उन बच्चों के साथ है, जो अपने माता-पिता के बिना रहते हैं और उन्हें एक परिवार की जरूरत होती है।

जिंदगी उम्र देखकर वार नहीं करती और न ही जख्मों के भरने का इंतजार करती है, वह तो जख्मों के निशान छोड़ते हुए अपनी लय में बहती चली जाती है और हम ताउम्र जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करते रहते हैं। मैं राधा हूँ, आंगनवाड़ी में काम करती हूँ। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिनकी उम्र कच्ची है और उनके सिर से माता-पिता का साया उठ गया है। बचपन में माँ-बाप को खो देने का दर्द और उस पर दुनिया का सौतेला व्यवहार, उन्हें और पराया कर देता है। मैं घर-घर जाकर अनाथ हो चुके बच्चों के साथ-साथ मुश्किल परिस्थितियों में रहने वाले अन्य बच्चों को उनका अधिकार दिलाने वाली व्यवस्थाओं और सेवाओं से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। मैं इस काम को प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग की मदद से करती हूँ। मुश्किल परिस्थितियों में रहने वाले अन्य बच्चों एवं परिवारों के पुनर्वास के इस कार्य में शासकीय और गैरशासकीय संस्थाओं ने कदम दर कदम हम राह बनकर साथ निभाया है।

यह कहानी उन बच्चों में से एक की है जिसके अनाथ होने पर उसके अपनों ने ही उसे उसके अधिकार से वंचित कर दिया। दीप्ती (परिवर्तित नाम) 15 साल की है और कक्षा 9 में पढ़ती है। वर्ष 2020 में अचानक से दीप्ति की दुनिया ही बदल गई जब उसके माता-पिता गुजर गए और वह और उसका भाई चाचा-चाची के लिए बोझ बन गए। दीप्ती को हर बात के लिए डांट पड़ती, कई बार पिटाई भी हो जाती लेकिन वह अपना दर्द किससे कहती इसलिए अपने आंसू चुपचाप पी जाती।

ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन दीप्ती के मामा-मामी उससे मिलने पहुंचे और दीप्ती के जिद्द करने पर वो उसे अपने घर ले आए। मामा-मामी के पास जाकर बच्चों ने अपनी आप-बीती सुनाई। यह सुनकर वह दंग रह गए कि बच्चों को कितनी यातनाओं का सामना करना पड़ रहा है, उन्होंने उनकी मदद करने का फैसला लिया। मामा-मामी दीप्ती के पिता की जायदाद दोनों बच्चों को दिलवाना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने दीप्ती के चाचा से बात की तो उन्होंने जायदाद में हिस्सा देने से साफ मना कर दिया, अब उनके पास बच्चों को उनका अधिकार दिलाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था तो उन्होंने बच्चों से बात की और बच्चों को उनका हिस्सा दिलाने के लिए कोर्ट में केस दायर कर दिया।

उसी दौरान ममता संस्थान और महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से कठिन परिस्थिति / देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों का ज़िले में सर्वे शुरु हुआ, जिन्होंने कोविड के कारण अपने माता-पिता को खो दिया था। सर्वे के दौरान मैं दीप्ती के घर पहुंची तो दीप्ती के मामा ने सारी बात बताते हुए कहा, "कोर्ट में अर्जी दाखिल की है लेकिन आपको पता ही है कोर्ट कचहरी का चक्कर..." मैंने बच्चों से बात करने के बाद जिले में संबंधित अधिकारी को इस केस के संबंध में पूरी जानकारी दी।

जिले के संबंधित अधिकारी वंचित महिलाओं और बच्चों के मुद्दों पर उनके विरुद्ध अपराध रोकथाम, पुनर्वास, न्याय दिलाने आदि कामों को कानूनी दायरों और शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार करते हैं। पुर्व जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती मोनिका बिसेन का कहना था, "काम के दौरान मैंने जिले में ऐसे हजारों बच्चों को देखा है जो कि कई तरह की मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहे थे, जिसमें अनाथ, छोटे और गंभीर अपराधों से पीड़ित, घर-परिवार की ख़राब हालात से पीड़ित बच्चे एवं परिवार शामिल हैं। मैंने बड़े स्तर पर उजड़ते सपनों, चीखती पुकारों, रोते बिलखते बचपन और टूटते परिवारों जैसी भयावहता को बहुत करीब से देखा है। इसके साथ ही तार-तार होते रिश्तों की भी साक्षी रही हूं"। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न विभागों /एजेंसियों जैसे बाल कल्याण समिति / ज़िला प्रशासन / कलेक्टर कार्यालय से समन्वय के फलस्वरूप बड़े कठिन परिश्रम के बाद दीप्ति को उसके माता-पिता की जायदाद वापस मिल सकी।

प्रशासन के साथ इन गंभीर मुद्दों पर काम करते हुए शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करने का विशेष ध्यान देना होता है ताकि दुविधा की स्थिति पैदा न हो। तीन वर्षों की अवधि में जिले में मुश्किल परिस्थिति में रहने वाले बच्चों का आकलन का काम नए नजरिये और रणनीति के साथ किया है। बच्चों की मुश्किल परिस्थिति के आकलन में शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षा के साथ आजीविका और उनके सम्पत्ति के अधिकार शामिल हैं। सबके दर्द को कहानी के एक धागे में पिरोना मुश्किल है, फिर भी दीप्ती के आंसू से बाकी बच्चों के दर्द को समझा जा सकता है।

ममता संस्थान के सहयोग से प्राप्त सूची को प्राथमिकता के अनुसार बच्चों को चिन्हांकित किया गया। दीप्ती की तरह ही 50 अन्य बच्चों को चिन्हित कर जिला स्तर पर कलेक्टर की निगरानी में बाल संरक्षण समिति और एसडीएम की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति के माध्यम से बच्चों से संवाद कर उनकी संपत्ति का नामांतरण करवाया गया। दीप्ती के मामा महेश कहते है, "विभाग के पहल से कोर्ट में हमारी अर्जी की सुनवाई में तेजी आई क्योंकि यह केवल संपत्ति के नामांतरण का मामला था, जो जल्दी सुनवाई होने से सुलझ गया। दीप्ती आगे पढ़ाई कर डॉक्टर बनना चाहती है। हम खेती की कमाई से दीप्ति और उसके भाई की बेहतर परवरिश करेंगे और वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें इसके लिए उनकी मदद करेंगे"। दीप्ति और उसके भाई के बेहतर पुनर्वास को सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बाल आर्शीवाद योजना से भी जोड़ा गया। अब दीप्ती और उसके भाई को अपने भरण-पोषण के लिए आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है।

07- विश्वास की जीत

- वीरेन्द्र जैन

कोरोना लॉकडाउन ने लोगों को घरों में कैद कर दिया था। जब सब कुछ बंद था तब बुन्देलखंड में बाल विवाह, आपदा में सु-अवसर बन कर सामने आने लगे। ऐसे में जन सामान्य को जागरूक करना चुनौती बन गया। लेकिन दमोह के पीयर (हमजोली) एजुकेटर्स ने दीवार लेखन और ऑनलाइन माध्यमों से लोगों को जागरूक करने की अलख जगाये रखी। अब पीयर एजुकेटर सीमा का ही उदाहरण ले लें। सीमा ने अपनी सहेली का बाल विवाह रुकवाकर न केवल लोगों का विश्वास जीता बल्कि दूसरे बच्चों को भी इस कुरीति की भेंट चढ़ने से बचा लिया।

वर्ष 2020, अंतर्राष्ट्रीय आपदा कोविड-19 के चलते लॉकडाउन में लोग अपने घरों में कैद थे। लोग बड़ी संख्या में शहरों से गाँवों की ओर वापस लौट रहे थे। हर जगह सन्नाटा पसरा था, वीरानी का माहौल था। कुछ दिनों बाद जब लॉकडाउन से छूट मिली तो लोगों ने इसे आपदा में अवसर की तरह लिया। यह समय बुन्देलखंड में बाल विवाह के सुअवसर में बदल गया। ऐसे समय में चुनौती यह थी कि जब प्रत्यक्ष रूप से किसी से मिल नहीं सकते हैं तो फिर बाल विवाह के खिलाफ लोगों को जागरूक कैसे करें? ऐसे में एक युक्ति समझ आई कि यदि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के फील्ड वर्कर्स और पीयर एजुकेटर का उन्मुखीकरण ऑनलाइन माध्यम से किया जा सके तो यह बाल विवाह के खिलाफ एक सार्थक पहल हो सकती है। इस हेतु किशोर सशक्तिकरण कार्यक्रम के माध्यम से काम करना शुरु किया गया। इस काम में सबसे पहले तो यही चुनौती आई कि लोगों को ऑनलाइन कैसे जोड़ें? क्योंकि इस समय ज़ूम और गूगल मीट जैसे एप का चलन नया था, लोगों के पास इंटरनेट के पैसे नहीं थे। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग, तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ जुड़कर ममता संस्थान के प्रतिनिधि द्वारा लगभग 100 से अधिक किशोर-किशोरियों का ऑनलाइन उन्मुखीकरण किया गया, ताकि वे अन्य लोगों को जागरूक कर सकें। सीमा कहती है कि मैं सभी माता-पिता से यही निवेदन करती हूँ कि "जब बालिकाएं पंख फैलाना चाहती हैं, तो हम क्यों रोक लगाएं..."?

बाल विवाह कर बच्चों के सपने न रहने दें अधूरे,

पढ़ा लिखा उनके सपनों को हो जाने दें पूरे।

बाल विवाह एक अपराध है इससे न जाने कितने बच्चों के सपने अधूरे ही रह जाते हैं, साथ ही वह अपने अधिकारों से भी वंचित रह जाते हैं। उन माता-पिता से मेरी यह अपील है कि वह अपने बच्चों का विवाह कानून सम्मत उम्र के अनुरूप ही करायें।

> **सीमा कहती है कि मैं सभी माता-पिता से यही निवेदन करती हूँ कि "जब बालिकाएं पंख फैलाना चाहती हैं, तो हम क्यों रोक लगाएं...?"**
>
> **बाल विवाह कर बच्चों के सपने न रहने दें अधूरे,**
>
> **पढ़ा लिखा उनके सपनों को हो जाने दें पूरे।**
>
> **बाल विवाह एक अपराध है इससे न जाने कितने बच्चों के सपने अधूरे ही रह जाते हैं, साथ ही वह अपने अधिकारों से भी वंचित रह जाते हैं। उन माता-पिता से मेरी यह अपील है कि वह अपने बच्चों का विवाह कानून सम्मत उम्र के अनुरूप ही करायें।**

दमोह ज़िले के आदिवासी बाहुल्य विकासखंड तेंदूखेड़ा के धनगौर गाँव की सीमा के परिवार में माता-पिता के अलावा एक भाई और एक बहन है। सीमा ने एजुकेटर के रूप में अपना पंजीयन तो करवा लिया था लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि उसे करना क्या है? उसे तो यह भी नहीं पता था कि उसे जीवन में क्या करना है?

माता-पिता उसकी भी शादी कर देंगे। सीमा ने मन ही मन सवालों की तैयारी की और पहुंच गई दिशा के घर । उसकी माँ से बात करके पता चला कि निर्णय उसके पिता का है। पिता से बात करने में वह झिझक रही थी लेकिन उसने हिम्मत करके बात की। पिता ने कहा कि तुम्हें तो पता ही है कोरोना के चक्कर में काम-काज ठप्प पड़ा है, रोज गढ़्ढा खोदो, रोज पानी पियो वाला हाल है। बड़ी बेटी की शादी तय हो चुकी है, ऐसे में दोनों शादियां एक साथ निपट जाएंगी तो अच्छा ही रहेगा । तुम कुछ भी कहो हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। दिशा के पिता की बातें सुनकर सीमा निराश हो गई और थक-हारकर घर लौट आई।

कैसे आगे बढ़ना है ? वह जानती थी तो बस इतना कि उसे अपना जीवन चूल्हा-चौका तक ही सीमित नहीं करना है। बहरहाल इस उन्मुखीकरण के बाद सीमा ने बाल विवाह रोकने का बीड़ा उठाया। उसने साथिया ब्रिगेड के साथ मिलकर 5000 से आधिक आबादी वाले अपने गाँव में इस कुरीति को लेकर दीवार लेखन, ऑनलाइन पोस्टर प्रतियोगिता आदि के माध्यम से लोगों को जागरुक करना शुरु किया । सीमा को क्या पता था कि जिस अपराध के प्रति वह लोगों को जागरूक कर रही है, वह अपराध उसकी अपनी सहेली के साथ घटित होने वाला है। सीमा की 17 वर्षीय सहेली दिशा पाल (परिवर्तित नाम) एक दिन अचानक उसके घर आती है और उससे लिपटकर रोने लगती है।

सीमा के बार-बार पूछने पर वह बताती है, कि "मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी तय कर दी है...। जबकि मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ...। मेरे भी कई सपने हैं, मैं भी पंछियों की तरह खुले आसमान में उड़ना चाहती हूँ.... लेकिन अब..."। सीमा उसे समझाकर घर वापस भेज देती है और खुद रणनीति बनाने लग जाती है कि दिशा को इस स्थिति से कैसे बाहर निकाला जाए। दरअसल यह सीमा की भी परीक्षा थी, क्योंकि यदि वह अपनी सहेली की शादी नहीं रुकवा पायी तो लोग उस पर विश्वास कैसे करेंगे...!

सीमा इस उधेड़बुन से निकल नहीं पा रही थी लिहाज़ा उसने अपने शिक्षक से बात की और उन्होंने कहा कि तुम्हें दिशा के माता-पिता से ही बात करनी पड़ेगी। सीमा को यह बात भी कचोट रही थी कि यदि वह दिशा की शादी नहीं रुकवा पाई तो उसके

दिशा ने कुछ दिन बीतने पर सीमा को शादी की तैयारियों के बारे में बताया। सीमा के पास भी कोई जवाब नहीं था। सीमा की बेबसी अब गुस्से का रूप ले रही थी। सीमा परेशान रहने लगी । उसके पिता ने उसकी परेशानी का कारण पूछा। सीमा ने उन्हें सब कुछ बता दिया। सीमा के पिता पेशे से प्राइमरी शिक्षक हैं और दिशा के पिता के मित्र भी। उन्हें दिशा की शादी की जानकारी तो थी लेकिन वे इस बात से बेखबर थे कि दिशा नाबालिग है और यह शादी उसकी मर्जी के खिलाफ की जा रही है। सब जानकर वह सीमा के साथ दिशा के पिता से मिलने गये।

सीमा के पिता ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के माध्यम से अपनी बात की शुरुआत की। इसके साथ ही शिक्षा के महत्व पर बात की और मजबूती से अपना पक्ष रखते हुए इस बाल विवाह को रोकने के लिए कहा तो दिशा के पिता मान गए। सीमा के इस प्रयास से न केवल दिशा का विवाह रुका बल्कि गाँव के अन्य लोग भी जागरुक हुए। सीमा के इस 'विश्वास की जीत' ने न सिर्फ दिशा के जीवन को बदल दिया बल्कि दिशा जैसी और बालिकाओं को भी आत्मबल प्रदान किया कि अगर इरादे मजबूत हों तो सफलता जरुर मिलती है। सीमा युवा समूह से जुड़कर आज भी बाल विवाह रोकथाम की दिशा में प्रयास कर रही है और अपनी तरह दूसरी बालिकाओं को भी सपने देखने और जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित कर रही है। वह सभी माता-पिता से बस एक ही अनुरोध करती है कि, "जब बालिकाएं पंख फैलाना चाहती हैं, तो हम क्यों रोक लगाएं।"

●●●

08- कोशिश करने वालों की हार नहीं होती

- राजेश शर्मा

ग्रामीण परिवेश में लड़कियों की शिक्षा को अक्सर सुरक्षा और सामाजिक मान्यताओं की बाधाओं के कारण बाधित किया जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक धारणाएँ लड़कियों के भविष्य को सीमित कर देती हैं। लेकिन खुशी की खुशी का ठिकाना तब नहीं रहा जब उसे पढ़ने के लिए शहर जाने का मौका मिला। वह अपने गाँव में ही शौर्या दल जैसे संगठनों की मदद से ऐसी और बालिकाओं को जोड़ रही है जो कि पढ़ाई छोड़ चुकी हैं। खुशी की कहानी बताती है कि सही दिशा में किए गए प्रयास से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है।

नालछा विकासखंड, जिला धार से लगभग 40 किलो मीटर दूर एक ग्राम पंचायत में 17 वर्षीय खुशी अपने माता-पिता और दो छोटे भाइयों के साथ रहती है। उसके माता-पिता खेती-मजदूरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। खुशी पढ़ाई में होशियार है और उसने दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। बारहवीं के बाद खुशी कॉलेज जाकर आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके माता-पिता उसकी शादी की योजना बना रहे थे।

खुशी ने अपने माता-पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने साफ मना कर दिया। खुशी के लिए तो मानो जैसे सारी ख़ुशियां रूठ गयी हों। वह जब भी इस विषय पर अपनी माँ से चर्चा करती, वह बहुत जोर से डांट देती। उसे सबसे ज्यादा बुरा तो तब लगता था जब वे डपटकर उससे पूछती, "क्या करोगी पढ़-लिखकर, काम भर का तो पढ़ लिया।" खुशी भला क्या बताती कि वह इन दिनों ऐसे सपने देख रही है जो शादी करके नहीं बल्कि पढ़-लिखकर ही पूरे हो सकते हैं।

काम भर पढ़ना उसके लिए काफी नहीं है लेकिन अपनी माँ को समझा नहीं पा रही थी।

उसने गाँव के आंगनवाड़ी केंद्र में महिला एवं बाल विकास विभाग, नालछा परियोजना के परियोजना अधिकारी से मुलाकात की और अपनी समस्या बताई। परियोजना अधिकारी ने खुशी के माता-पिता से बात की, लेकिन उसकी माँ ने अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की और उसे कॉलेज भेजने से इनकार कर दिया।

लगभग एक सप्ताह बाद, परियोजना अधिकारी को जब यह पता चला कि उनके समझाने-बुझाने का कोई असर नहीं हुआ है तो उन्होंने फिर से खुशी के माता-पिता से उनके घर जाकर मिलने का प्रयास किया। खुशी के पिता जहां थोड़े पढ़े-लिखे होने के कारण ख़ुशी को आगे पढ़ाने के लिए हामी भर रहे थे, वहीं खुशी की माँ अपने तर्क के साथ उनकी हर बात को काट रहीं थीं। खुशी की माँ की मुख्य चिंता थी कि गाँव के आसपास कोई कॉलेज नहीं है और वह अपनी बेटी को अकेले 40 किलोमीटर दूर कॉलेज नहीं भेज सकती। परियोजना अधिकारी ने खुशी की माँ को यह भरोसा दिलाया कि खुशी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी लेकिन उसे अपनी हिफाजत करना सिखाना भी जरूरी है।

परियोजना अधिकारी ने आगे पढ़ाने की बात के बीच में यह भी कह दिया कि सुना है आप खुशी की शादी करवा रही हैं। उन्होंने बताया कि वह अभी 18 साल की नहीं हुई है और नाबालिग की शादी कराना गैरकानूनी है। अगर इस उम्र में उसकी शादी की गई तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह सुनकर खुशी की माँ सहम गईं लेकिन फिर भी राजी नहीं हुई। परियोजना अधिकारी ने उनके साथ बातचीत जारी रखी और आखिरकार खुशी की माँ मान गई। हालाँकि परियोजना अधिकारी को ख़ुशी की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी पड़ी।

खुशी का दाखिला जिला मुख्यालय धार के शासकीय पी.जी. कॉलेज में करवा दिया गया, जहाँ उसने कॉमर्स विषय चुना। पढ़ाई करने के साथ-साथ वो गाँव के शौर्या दल से भी जुड़ी। शौर्या दल किसी भी हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता करने और बाल विवाह, बाल हिंसा रोकथाम के लिए समाज को जागरूक करने का काम करती है। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता और स्कूल के शिक्षक जुड़े हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग जिला धार द्वारा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शौर्या दल के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाता है।

शौर्या दल से जुड़ने के बाद खुशी अपने क्षेत्र के स्कूल और कॉलेज में बाल संरक्षण एवं उससे जुड़े विषयों पर सत्र आयोजन करवाने में सहयोग करती है। वह बाल विवाह, बाल मजदूरी और लैंगिक भेदभाव जैसे मुद्दों पर चर्चा करती है। इसके अलावा, वह गाँव के लोगों के आधार कार्ड एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बनवाने में मदद करती है और अब तक पढ़ाई छोड़ चुकी 15-20 लड़कियों को वापस स्कूल से जोड़ चुकी है।

दरअसल, खुशी जैसी सफलता की कहानी कागज़ और कलम से नहीं बल्कि यथार्थ के कठोर धरातल पर लिखी जाती है, जिसकी पटकथा लिखते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग, ममता संस्था जैसी अशासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यक्रम जैसे कि किशोर सशक्तिकरण कार्यक्रम एवं स्थानीय स्तर पर कार्यरत शौर्या दल आदि। इन कार्यक्रमों और व्यवस्थाओं ने न केवल खुशी को उसके सपनों की उड़ान दी बल्कि उसे एक प्रेरणा स्रोत भी बनाया।

खुशी कहती है, "कॉलेज में सत्र के दौरान बाल विवाह और बाल हिंसा रोकथाम विषय पर एवं शौर्या दल में रहकर अभी तक मैंने जो भी सीखा है, वह मैं अपने गाँव और आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं और लड़कियों को भी बताऊंगी और उन्हें विभिन्न मुद्दों पर जागरूक करने का काम करती रहूंगी।"

●●●

09- एसपीसी: ज़िद के आगे जीत है

- शिवानी वाजपेयी

अब छात्र और पुलिस के बीच केवल संवाद नहीं होता बल्कि दोनों के बीच बाल अधिकार और बाल संरक्षण को लेकर सहमति इस तरह से बनी है कि दोनों ही न केवल अपनी-अपनी क्षमता के साथ आगे आते हैं, बल्कि हर एक बच्चे के साथ खड़े रहते हैं। साथ मिलकर चलने का यह अंदाज एक अलग ही साहस और जोश का संचार करता है। इंदौर में एक कैडेट ने कैसे अपनी दोस्त का बाल विवाह रुकवाया, जानिए उसकी पूरी दास्तान।

अख़बारों के भीतरी पन्नों पर अक्सर कुछ ख़बरें छपती रहती हैं।

- महिला संरक्षण एवं बाल विवाह रोकथाम टीम ने रुकवाई किशोरी की शादी।
- परिवार के ख़िलाफ़ जाकर नाबालिग ने रुकवाई अपनी शादी।
- बालिका वधु बनने से बची 16 साल की लड़की।

हम जैसे कथित सभ्य शहरी इन ख़बरों को कभी पढ़ते हैं तो कभी नहीं पढ़ते हैं। ऐसी ख़बरें हमारे मतलब की जो नहीं होती हैं। पर जिनके मतलब की होतीं हैं उनमें से भी ज्यादातर लोग पढ़ना नहीं जानते या अख़बार पढ़ना उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा नहीं होता।

ऐसी ही एक कहानी है इंदौर के विभिन्न शासकीय स्कूलों में संचालित स्टूडेन्ट पुलिस कैडेट (एस.पी.सी.) कार्यक्रम से जुड़े छात्रों की। एस.पी.सी. कार्यक्रम केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित है और इसका उद्देश्य छात्रों को एक ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करना है। इस कार्यक्रम के तहत चिन्हांकित शासकीय विद्यालय से बीस-बीस विद्यार्थी चुने जाते हैं। अगर सहशिक्षा (को-एड) आधारित विद्यालय हो तो बीस लड़के और बीस लड़कियों को चुना जाता है। सरकार की ओर से एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जो बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। राज्य में इस कार्यक्रम का संचालन पुलिस विभाग के द्वारा अन्य विभागों जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग एवं अन्य गैर सरकारी संस्थाओं की सहायता से किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रभावी संचालन के लिए कार्यक्रम से जुड़े नोडल शिक्षकों और पुलिस विभाग के अधिकारियों हेतु बाल हिंसा, बाल विवाह, जेण्डर एवं संवेदनशीलता जैसे विषयों पर किशोर सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता रहा है।

इंदौर के आजाद नगर इलाके में मूसाखेड़ी नामक एक छोटी सी किंतु सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील बस्ती है। इसी इलाके में रहती है आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली मालती, जो एसपीसी की सदस्य है।

मूसाखेड़ी विद्यालय में मालती के साथ ही पढ़ने वाली पारुल (परिवर्तित नाम) कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। स्वाभाविक रूप से मालती को उसकी चिंता हुई तो वह पारूल के बारे में पता करने उसके घर पहुंच गई। पारुल ने उसे बताया कि उसकी शादी तय हो गयी है और इसलिए अब उसके स्कूल जाने पर भी रोक लगा दी गयी है।

पारूल की यह बात सुनते ही मालती बोल उठी , "पर तूने मना क्यों नहीं किया" ? इस पर पारूल रूआंसी होकर बोली, "मेरी यहाँ कौन सुनेगा..... मैंने मम्मी से कहा था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती... तो उन्होंने कहा – माहवारी आने लगी है.. तो हो गयी शादी की उम्र... मेरी भी शादी इसी उम्र में हुई थी"।

मालती ने दिलासा देते हुए कहा, "ये गलत बात है, तू चिंता मत कर, नहीं होने दूँगी तेरी शादी"। पारुल ने शक भरी निगाहों से मालती को देखा, "इन बड़ों के बीच में तू क्या कर लेगी"?

मालती ने पारूल को विश्वास दिलाते हुए कहा "मैं जानती हूँ, मुझे क्या करना है" और यह कहकर वह अपने घर चली गई।

मालती ने भले ही पारूल को विश्वास तो दिला दिया था कि उसके विवाह को रोकने के लिए वह कुछ करेगी लेकिन इस बात को लेकर वह अन्दर से डर भी रही थी कि वह अकेले कैसे ये कर पाएगी? वह समुदाय की रूढ़ियों को जानती और समझती है लेकिन उसकी चपेट में एक दिन उसकी सहेली भी आ जाएगी, इसके बारे में उसने सोचा नहीं था, घर जाकर उसने यह बात अपने माता-पिता से बतायी। मालती के माता-पिता अपने समुदाय के अन्य सदस्यों की अपेक्षा खुली विचारधारा रखते थे। उन्होंने भी पारूल की शादी को लेकर अफ़सोस जाहिर किया और मालती को प्रोत्साहित किया कि वह पारूल की मदद करे।

अगले दिन वह स्कूल पहुँची और स्टूडेंट पुलिस कैडेट के नोडल अधिकारी शिक्षिका राशि परिहार को पूरी बात बतायी।

राशि परिहार को जैसे ही पारूल की शादी की बात पता चली उन्होंने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस विभाग को दी। इसके बाद उन्होंने मालती और उसके माता-पिता को बुलाया और उनसे बातचीत की। एक रणनीति बनी जिसके तहत राशि परिहार ने मालती के माता-पिता को पारुल के माता-पिता से बातचीत करने के लिए कहा। इसके पीछे धारणा यह थी कि समाज के लोग अगर कुछ कहें तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए मालती के माता-पिता पारुल के माता-पिता से मिलने गये और उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की। लेकिन उन्हें समझाना आसान नहीं था। पारुल के माता-पिता बेटी की जिम्मेदारी से जल्द से जल्द मुक्त होना चाहते थे। बेटी की पढ़ाई और शादी को लेकर उनकी भी वही धारणा थी जो अक्सर हमारे समाज में ज्यादातर लोगों की होती है जैसे –

- क्या करेगी पढ़ लिखकर? कलेक्टर बन जाएगी क्या?
- हमारी शादी भी तो इसी उम्र में हुई थी।
- कब तक घर में रखेंगे?
- आजकल ज़माना बड़ा खराब है।
- कुछ ऊँच-नीच हो गयी तो?

पारूल के माता-पिता ने मालती के परिवार वालों की एक नहीं सुनी। इस बात की जानकारी राशि मैडम को दी गयी। इस परिस्थिति को देखते हुए राशि मैडम ने अब मालती को पारूल के माता-पिता को समझाने की जिम्मेदारी सौंपी। मालती के लिए यह लगभग असंभव सा दिखने वाला लक्ष्य था, क्योंकि एक ओर उसकी उम्र कम थी, और दूसरी ओर वह थी तो लड़की ही।

पहले दिन जब वह पारुल के माता-पिता से बात करने गई तो जवाब मिला कि "अब तू हमें समझाएगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं?" भाग यहाँ से! लेकिन वह डटी रही ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ। हर बार वे उसे डपट देते या झिड़क देते।

आख़िर कब तक मालती यह सहन कर पाती, वह तनावग्रस्त हो गयी। तभी उसे यह पता चला कि शादी की तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं और बारात आने ही वाली है। उस दिन राशि मैडम ने उसे बार-बार याद दिलाया कि वह स्टूडेंट पुलिस कैडेट की सदस्य है और वह बहुत ताकतवर है। उसके एक

कॉल पर उसकी सहायता के लिए वे खुद और पुलिस विभाग की टीम पहुँच जाएगी।

आत्मविश्वास से भरी मालती सीधे पारुल के माता-पिता के पास पहुँची, साफ़-साफ़ कह दिया, "आप लोग पारुल की शादी नहीं करवा सकते"। "तू रोकेगी हमें?" पारुल के पिता ने हँसते हुए पूछा।

मालती ने जवाब देते हुए कहा- "रोकने ही आयी हूँ, कई बार समझा चुकी हूँ कि 18 वर्ष से कम उम्र में अगर लड़की की शादी हो तो वह बाल विवाह कहलाएगा और यह एक कानूनी जुर्म है।"

"लड़की की शादी करना जुर्म है? चल है तो है, देख लेंगे।" पारुल के पिता लापरवाही से बोले, उन्होंने मालती की बात को गंभीरता से न लेते हुए, हंसी से उड़ा दिया।

चूंकि स्टूडेंट पुलिस कैडेट सदस्य होने के नाते उसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के विषय में जानकारी प्रदान की गई थी, मालती ठोस स्वर में बोली - "ध्यान से सुनिए! अगर यह शादी हुई तो जितने लोग भी शादी में शामिल होंगे, दूल्हा, अराती-बाराती, पण्डित, आप लोग और बाकी के सभी मेहमानों को जेल जाना पड़ेगा"।

पारूल के पिता ने गुस्से भरे अंदाज़ में कहा- "और कौन बताएगा उन्हें? मैंने उन्हें तो न्योता नहीं दिया है।"

मालती बोली- "पुलिस को सब पता है, वे जानते हैं आप लोग पारुल की शादी करने वाले हैं। फोन लगाते ही वे लोग अपनी टीम के साथ आ पहुंचेंगे और फिर मत कहना मैंने बताया नहीं।"

पारूल के पिता ने कहा- "हमें पुलिस की धमकी देती है!"

मालती ने पारूल के पिता को समझाते हुए कहा- "मैं हूँ पुलिस, स्टूडेंट पुलिस कैडेट की सदस्य।" निर्भीक मालती ने उन्हें अपना असली परिचय बताया। यह सुनते ही वहाँ सन्नाटा छा गया।

पारूल की माँ ने डरते हुए पूछा- "क्या....क्या कहा तूने? पुलिस को सब पता है?"

मालती ने जवाब दिया- "और क्या, जैसे ही बारात आएगी पुलिस हथकड़ी लेकर पहुँच जायेगी"।

मालती के मुंह से यह सुनते ही पारुल की माँ पति को समझाने लगी, "सुनो जी, पुलिस आ गयी तो बड़ी बदनामी होगी, ये कह रही है जेल जाना पड़ेगा सबको"।

पारूल की माँ बोली- "मालती, अब तू जा, हम नहीं करवाएँगे पारुल की शादी"। मालती को पारूल की माँ पर भरोसा नहीं हुआ, उसने पूछा "क्या सच कह रही हो"। उसका ऐसा पूछना था कि पारूल के पिता झल्लाकर बोले- "हाँ, अब क्या लिखकर दें"?

अगले दिन राशि मैडम ने मालती के काम की पूरे स्कूल के सामने सराहना की और उसकी पीठ थपथपायी। स्टूडेंट पुलिस कैडेट के सदस्यों के लिए मालती एक प्रेरणा बन गई।

अब स्कूल आने वाली लड़कियों के समूह में मालती के साथ पारुल भी थी।

यह कहानी सिर्फ मालती की सफलता की कहानी नहीं है बल्कि नोडल अधिकारी राशि परिहार की सफलता की कहानी है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि स्टूडेंट पुलिस कैडैट जैसे कार्यक्रमों की हमें कितनी ज़रूरत है।

●●●

10- वेस्ती का दाना-पानी

- जीमी निर्मल

हम जब केवल किताबी ज्ञान हासिल करते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम किताबों में लिखी बातों तक ही सीमित हो जाते हैं। लेकिन जब किताबों से इतर कुछ और ज्ञान हासिल करते हैं तो यह जीवन जीने का हुनर और दाना-पानी कमाने का आत्मविश्वास दोनों देता है। जीवन जीने के लिए दोनों ही तरह के ज्ञान और अनुभव की जरूरत होती है। वेस्ती ने ममता संस्थान के साथ मिलकर किताबों से इतर जो ज्ञान हासिल किया, उससे कुछ ऐसे बदल गया उसका दाना-पानी।

राहें मंज़िल तक पहुंचाती हैं बशर्ते आप चलने का हुनर रखते हों... वेस्ती रास्ते की हर मुश्किल को एक पड़ाव ही मानती है इसलिए वह कभी रुकी नहीं, थकी नहीं, बस चलती गयी, चलती गयी....।

वेस्ती झाबुआ जिले के तलावली गाँव में अपनी दो छोटी बहनों, एक छोटे भाई और माँ के साथ रहती है। जब वह कक्षा 9 में पढ़ती थी तभी एक दुर्घटना में उसके पिता की मौत हो गयी। वह घर में सबसे बड़ी थी इसलिए उसके रिश्तेदारों को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। एक दिन वेस्ती स्कूल से लौटी तो उसके घर में कोहराम मचा हुआ था। उसकी बुआ ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही थी, "यही सही उम्र है शादी की। बिना बाप की लड़की पर पूरे समाज की नज़र रहती है। अच्छा होगा, इसे ब्याह कर विदा कर दो। कौन सा इसे पढ़ा-लिखाकर कलेक्टर बनाना है"। माँ चुप्पी साधे सब सुनती रही।

इतना सुनते ही वेस्ती घर के अंदर आकर माँ से लिपट गयी। माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। बुआ फिर बोल उठी, "वेस्ती, अब यह सब लड़कपन छोड़ और शादी की तैयारी कर..."। वह सुबकने लगी। माँ ने उसे चुप कराते हुए बुआ से कहा, "जिज्जी अभी शादी नहीं करेंगे बिटिया की। 12वीं पास कर लेगी तब सोचेंगे"। बुआ झल्ला उठी, "अरे पागल हो गयी है क्या...? जवान होती लड़की है, कल को कुछ ऊँच-नीच हो जाए तो हमसे मत

कहना ...!! अब हम तो अपना समझ कर कह रहे थे बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी..." बुआ उठकर चली गयीं। वेस्ती का मन खुशी से झूम उठा लेकिन अगले ही पल माँ ने उसे समझाया भी कि "बेटा ऐसा कोई काम मत करना कि हमें समाज के सामने शर्मिंदा होना पड़े"। वेस्ती ने भी अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें आश्वस्त किया।

माँ ने वेस्ती को पारिवारिक प्रपंचों से तो बचा लिया था लेकिन इसके आगे की राह आसान नहीं थी। पिता के असमय निधन के बाद ज़मीन और गहने बिक चुके थे। परिवार पर कर्ज़ का दबाव था, रिश्तेदार हर छोटी बात पर ताना देते, अपशब्द कहते, रोज़ बात-बेबात विवाद होता। शुरुआती दिनों में कुछ लोगों ने मदद की लेकिन उस मदद के बदले वेस्ती की माँ से नाजायज़ मांग करते। इस कारण वेस्ती की माँ को अपना घर छोड़कर बच्चों के साथ किसी और स्थान पर रहने के लिए जाना पड़ा।

पर वेस्ती हार मानने वाली लड़की नहीं थी। उसे स्कूल में किताबी ज्ञान के साथ-साथ जीवन कौशल, बाल संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य एवं अन्य उपयोगी विषय पर हुई कार्यशालाओं के जरिए कई तरह की जानकारी मिली थी। उसी दौरान वेस्ती को यह जानकारी हुई कि स्वयं सहायता समूह से जुड़े सदस्यों को लोन भी मिलता है और इसे धीरे-धीरे चुकाया जा सकता है। वेस्ती ने इस संबंध में अपनी माँ से कहा, "माँ हम लोन लेकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। इससे हमारा कर्ज़ भी उतर जाएगा और छोटे भाई -बहनों की पढ़ाई भी नहीं रुकेगी। आखिर हम कर्ज़ लेकर कब तक भागते रहेंगे"। उस दिन माँ ने वेस्ती की बात का कोई जवाब नहीं दिया।

समय बीतता रहा और वेस्ती ने 12वीं कक्षा पास कर ली। अब वेस्ती नौकरी के लिए हाथ-पैर मारने लगी। कई जगह आवेदन करने के बाद 4-5 हजार की नौकरी मिल रही थी। वेस्ती असमंजस में थी कि इन पैसों से परिवार चलाएगी या कर्ज़ उतारेगी। वक्त के साथ-साथ कर्ज़ का पहाड़ भी बढ़ता जा रहा था।

वेस्ती ने फिर से लोन वाली बात माँ से कही और इस बार उसकी माँ राजी हो गयीं। वेस्ती ने स्वयं सहायता समूह से 5 हजार रुपए का लोन लेकर पड़ोस के भगोर कस्बे में एक चाय की दुकान खोली और उसका नाम रखा 'दाना-पानी'। यह बात जब परिवारजनों व अन्य रिश्तेदारों को पता चली तो उन्होंने बहुत हंगामा किया। वेस्ती और उसकी माँ को खूब खरी-खोटी सुनायी। उनका कहना था कि अब माँ बेटी मिलकर काम करेंगी, खानदान का नाम डुबोएंगी। यह सब सुनकर भी वेस्ती और उसकी माँ अपने फैसले पर अडिग रहे।

आख़िरकार वेस्ती और उसकी माँ की मेहनत रंग लाई। दुकान चकाचक चलने लगी, सारे कर्ज़े उतर गए। ज़िन्दगी पटरी पर आने लगी। वेस्ती की खुशी रिश्तेदारों को खटकने लगी। उन लोगों ने वेस्ती की माँ पर दबाव बनाकर जबरदस्ती उसकी शादी करा दी। पर वेस्ती ने अपने काम में अपने ससुराल वालों को बाधा नहीं बनने दिया बल्कि अपने काम के साथ परिवार और ससुराल में तालमेल बिठाकर मुनाफे का कुछ हिस्सा उन्हें भी देने लगी। ऐसे में ससुराल पक्ष भी वेस्ती के काम से ख़ुश होकर उसकी सराहना करते नहीं थकता है। हालाँकि वेस्ती पर जिम्मेदारियाँ बढ़ गयीं हैं लेकिन वह रुकती नहीं, थकती नहीं, बस बढ़ती जा रही है।

वेस्ती की मेहनत का रंग निखरकर आया है अब उसकी छोटी सी दुकान थोड़ी बड़ी हो गयी है। यहां चाय के अलावा नाश्ता भी मिलने लगा है। वेस्ती ने गिरवी रखी ज़मीन को छुड़ा लिया। अपने भाई-बहन को पढ़ा रही है और खुद भी पढ़ रही है।

●●●

11- बदलाव की नई ईबारत

- अमित शिंदे

लड़कियाँ फुटबॉल खेल रहीं थीं तो लड़के हंसी उड़ा रहे थे और जब लड़के, हाथों में मेहँदी लगा रहे थे, तब उनका भी मज़ाक उड़ाया जा रहा था। क्योंकि यह कवायद समाज के पारंपरिक खांचों में फिट नहीं बैठती है। समाज के नियम पहले से परिभाषित हैं। लड़कों और लड़कियों की भूमिका भी पहले से तय हैं। सभी से यही अपेक्षा होती है वे इन नियमों का पालन करें। लेकिन खरगोन के "जेंडर चैंपियंस" इन खांचों को बदलने की मुहिम में ऐसे जुटे हैं कि वे लिख रहे हैं बदलाव की नई ईबारत...।

आज खरगोन के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-2 का माहौल बिलकुल अलग है। मौका है बाल अधिकार सप्ताह मनाने का। इस सप्ताह में कुछ खेल भी खेले जाने हैं और चित्रकला की प्रतियोगिता भी होनी है, पर इन्हीं खेलों को लेकर बहस जारी है। पाटीदार सर, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ बच्चों को खेलों के बारे में समझा रहे हैं और बच्चे हैं कि समझने को तैयार ही नहीं हैं। दूसरी ओर, कुछ और बच्चे जो कि दूर से इस बहस को सुन रहे हैं, वे रानू मैडम से पूछ रहे हैं कि यह माज़रा क्या है? तो रानू मैडम बताती हैं कि पाटीदार सर, जेंडर क्लब के नोडल शिक्षक हैं न, तो वे कुछ नई और रोचक गतिविधियों के बारे में इन बच्चों को समझा रहे हैं।

यह "जेंडर क्लब" क्या है मैडम, मुकेश ने पूछा ?

मैडम ने बताया कि हमारे जिले में बाल विवाह बहुत ज्यादा है और उसकी रोकथाम के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग, ममता संस्थान के साथ मिलकर एक अभियान चला रहे हैं। इस काम में यूनिसेफ जैसी संस्था भी मदद कर रही है। इस अभियान के तहत ही 'जेंडर क्लब' बनाये गए हैं।

मुकेश और बाकी बच्चों ने पूछा कि मैडम तो क्या हम इन खेलों में भाग नहीं ले सकते हैं? मैडम ने उन्हें बताया कि नहीं, अभी तो इसमें केवल 'जेंडर क्लब' से जुड़े बच्चे ही भाग ले सकते हैं।

उधर पाटीदार सर, बच्चों को समझाकर थक चुके थे और बच्चों को लग रहा था कि ऐसा कौन सा खेल है कि लड़कों को मेंहदी लगाना होगा। ये कैसे खेल रखे हैं आपने? लड़कियां रचाती हैं मेंहदी, हम क्यों रचाएं और हम क्यों लगायें? इन सब सवालों के हर संभव जवाब पाटीदार सर ने दिए, उन्होंने बताया कि जिम्मेदारियों का कोई जेंडर नहीं होता है। जेंडर क्लब इन्हीं सब अवधारणाओं को तोड़ने के लिये ही तो बनाया है। पर वे समझा नहीं पाये और उन्होंने किशोर सशक्तिकरण कार्यक्रम से जुड़े जेंडर विषय के प्रशिक्षक अमित शिंदे को फोन कर दिया।

अमित के आते ही बच्चों ने अपने सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने बताया कि स्कूल के अन्य बच्चे हमारा मज़ाक उड़ा रहे हैं। अमित ने सवालों के जवाब जेंडर पर बातचीत करते हुए दिए। उन्होंने बताया कि जब किसी काम को हम लड़के या लड़कियों का मान लेते हैं तो किस तरह ज़िन्दगी परेशानियों से घिर जाती है!! क्यों लड़कियों को जल्द से जल्द शादी कर ससुराल भेज दिया जाता है या क्यों लड़कों से हमेशा बहादुर रहने और कभी न रोने की उम्मीद की जाती है। इस बातचीत का काफी असर हुआ। इस बातचीत से बच्चे सहमत हुए और बच्चे एक-दूसरे के हाथों पर मेहँदी से तरह-तरह की चित्रकारी करने लगे और माहौल खुशनुमा बनने लगा।

पर ये "जेंडर क्लब" की अवधारणा क्या है? इस सवाल के जवाब में अमित बताते हैं कि खरगोन जिले में 1000 लड़कों पर लड़कियों का अनुपात 945 है, यहाँ बाल विवाह का प्रतिशत भी ज्यादा है। हमारा ऐसा मानना है कि बाल विवाह कुरीति के पीछे कहीं न कहीं लैंगिक भेदभाव भी एक कारण है। अगर हमें बाल विवाह को रोकना है तो सबसे पहले जेंडर के मुद्दे को लेकर चलना

होगा। इस सिलसिले में यूनिसेफ और हमारी संस्थान ने बच्चों को जोड़ते हुए एक अवधारणा विकसित की, जो 'जेंडर क्लब' के रूप में सामने आयी। ऐसा भी नहीं कि यहाँ इस स्थिति को दूर करने के प्रयास नहीं हुए हैं लेकिन जब भी (जेंडर ट्रेनिंग) लैंगिक प्रशिक्षण के लिये बैठक/सत्र का आयोजन किये गए हैं उसमें केवल महिलाएँ ही भाग लेती रही हैं, पुरुष भागीदारी बहुत ही कम होती है। अमित बताते हैं कि उन अनुभवों से सीख लेते हुए हमने स्कूलों में प्रशिक्षण देने की योजना बनायी। जिले में हाई/हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या 3162 है और सभी स्कूलों तक पहुँचना संभव नहीं था। इसलिए हमने 'जेंडर क्लब' की अवधारणा के लिए जिला मुख्यालय के निकटतम 4 स्कूलों का चुनाव किया। ये स्कूल हैं शा.उच्च माध्य. वि. मेनगाँव, शा. बालक उच्च माध्य. वि. क्र. 02, शा. माध्य. वि. नंदगाँव और सी.एम. राईज वि., टेमला।

हर स्कूल में 50 बालक / बालिकाओं और एक नोडल शिक्षक के समूह के साथ कई सत्रों में बच्चों से बातचीत की गयी। शुरुआत में बच्चों ने बहुत ही कम दिलचस्पी दिखाई, लेकिन दो-तीन सत्रों के बाद महसूस हुआ कुछ बच्चे रूचि ले रहे हैं और उन्हीं बच्चों को जोड़कर 'जेंडर क्लब' का गठन हुआ। हमारी योजना यह थी कि हम इन क्लब के माध्यम से उन्हें जेंडर के मुद्दों पर जागरुक करें और फिर सभी विद्यालयों में अलग-अलग गतिविधियों के बाद एक 'जेंडर चैम्पियन' उभरे। हमें उम्मीद थी कि कम संख्या में ही सही लेकिन जेंडर को लेकर सही सोच का बीजारोपण हम कर पाएँगे और उन्हीं बच्चों के माध्यम से इस सोच का विस्तार अन्य बच्चों तक भी हो पायेगा।

शुरूआती चर्चाओं और जेंडर पर एक आम समझ बन जाने के बाद नवम्बर में आयोजित बाल अधिकार सप्ताह के दौरान हर क्लब को ऐसी गतिविधियाँ करने को कहा गया, जो कि जेंडर मान्यताओं को तोड़ती हों, इसलिये शीर्षक भी दिया गया 'लैंगिक मानदंडों को तोड़ो'। इसके तहत चार खेलों को शामिल किया गया। लड़कियों के लिए फुटबॉल और कबड्डी और लड़कों के लिए रस्सी कूद और मेंहदी प्रतियोगिता।

पर क्या यह उतना ही आसान था ? नहीं, अमित ने अपने

अनुभव साझा करते हुए कहा। वे बताते हैं कि सभी स्कूलों में लड़कों को समझाने में हमें दो दिन लगे। अलग-अलग उदाहरणों से समझाने के बाद वे तैयार हुए। लेकिन लड़कियों की प्रतिक्रिया कुछ अलग ही थी, वे फुटबॉल और कबड्डी को लेकर उत्सुक तो थीं लेकिन झिझक भी रहीं थीं। यह बात मैंने सहशिक्षा (को-एड) वाले सी.एम. राइज़ स्कूल में महसूस की। वहां की लड़कियों ने पहली बार फुटबॉल हाथ में ली थी लेकिन उनकी आँखों में चमक जबरदस्त थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे भी लड़कों की तरह फुटबॉल खेल सकती हैं। वहां के नोडल और खेल शिक्षक योगेश सर ने उन्हें फुटबॉल के नियम समझाए और कुछ ही देर बाद लड़कियों की दोनों टीमें आमने-सामने थीं। शुरुआत में लड़के उन्हें देखकर हँस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे लेकिन जल्द ही लड़कियाँ खेल में रम गयीं और मजाक उड़ाने वाले लड़कों को खेल देखने में मज़ा आने लगा। वे अपनी पसंदीदा टीम का हौसला बढ़ाने लगे, जैसे ही कोई टीम गोल दागती, उस टीम के समर्थक लड़कों का झुण्ड जोर से चिल्ला उठता – गोल!!!

अब बारी थी लड़कों की। लड़के आनाकानी कर रहे थे तो लड़कियां मुस्कुरा रही थीं। लड़कों के बीच मेंहदी लगाने से कहीं बड़ा जोखिम भरा काम मेंहदी लगवाना था। लड़कियों ने उदारता दिखायी और मदद की पेशकश करते हुए कहा कि वे चाहें तो लड़कियों के हाथ में मेंहदी लगा सकते हैं। अब लड़के, लड़कियों का हाथ पकड़कर मेंहदी लगाएँ, यह भी लड़कियों के लिए कम हौसले की बात नहीं थी, लेकिन लड़कों ने मना कर दिया। ताराचंद ने साफ-साफ कहा, "हम लड़के या तो अपने हाथ पर या किसी और लड़के के हाथ पर ही मेंहदी लगाएँगे"। प्रतियोगिता शुरू हुई, लड़कियों को यह सब बड़ा ही दिलचस्प लग रहा था। उन्होंने भी लड़कों का खूब उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता के बाद हमने सभी से पूछा कि उन्हें कैसा लगा ? सभी ने एक सुर में कहा कि उन्हें बड़ा मजा आया। खेल तो एक माध्यम था जिसने लिंग आधारित भेदभाव को समझने और उसे खत्म करने की दिशा में समझ विकसित की। जिस जेण्डर मॉड्यूल के अंतर्गत यह कयावद शुरू हुई, उस मॉड्यूल के सभी सत्र जनवरी 2024 तक पूर्ण किए गए। चारों स्कूलों से 10-10 जेंडर चैम्पियन बन गए हैं। यही बच्चे आगे चलकर एक नए समाज की नींव तैयार कर पाएँगे क्यूंकि ये 'जेंडर चैंपियंस' बदलाव की नई इबारत लिखने को तैयार हैं।

●●●

12- सपने की राह

- लखन मकवाना

आशा की अपनी ज़िंदगी को लेकर कुछ सपने हैं, उसने पढ़-लिख कर बड़ा अधिकारी बनने का सपना देखा, पर बाल विवाह की काली छाया ने यह सपना चकनाचूर करना चाहा। लेकिन आशा निराश नहीं हुई और उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसके दृढ़ संकल्प के आगे परिवार को झुकना पड़ा। आशा ने आस जगाये रखी। राजगढ़ में बाल विवाह रोकने की पहल ऐसी रंग ला रही है कि सामूहिक विवाह के आयोजकों ने खुद ही कई आयोजन रद्द कर दिए, क्योंकि अधिकांश जोड़े नाबालिग थे। जिला प्रशासन भी बाल विवाह रोकथाम की इस मुहिम में साथ खड़ा हैं। आइये रूबरू होते हैं आशा के सपनों की इस उड़ान से।

आँखों में कई सपने सज सकते हैं लेकिन सपनों को सजाने का हक सबको नहीं मिलता। आशा दुनिया के जिस हिस्से में रहती है, वहां आँखों में सपने सजाने की मनाही है। वह राजगढ़ जिले के सबसे पिछड़े ब्लॉक खिलचीपुर में अपने छोटे भाई (10 साल) और छोटी बहन (12 साल) के साथ रहती है। खिलचीपुर की सीमा राजस्थान के उस क्षेत्र से लगती है, जहां बाल विवाह की समस्या सबसे अधिक है। इसका सीधा असर खिलचीपुर पर भी पड़ता है।

आशा की अपनी ज़िंदगी को लेकर कुछ सपने हैं, जिन्हें पूरा करने में वह लगी हुई है। वह रोज स्कूल जाती है, घर के काम में भी मदद करती है, छोटे भाई और बहन को पढ़ाती है और बचे वक़्त में स्कूल का होमवर्क पूरा करती है। दिन यूँ ही बीत रहे थे, वह खुश थी। उसे बिलकुल भी अंदाजा नहीं था कि अब जिंदगी क्या करवट लेने वाली है। 14 साल की आशा एक दिन हंसती-खेलती अपने घर लौटती है तब उसे पता चलता है कि उसकी शादी तय कर दी गयी है। यह सुनकर उसे यकीन नहीं होता वह इस बारे में अपनी माँ से बात करती है। माँ उसे डांटती हुई कहती हैं, "शादी नहीं करोगी मतलब... तुमसे किसने पूछा जो तुम अपनी राय दे रही हो... दो अक्षर पढ़ ली तो दिमाग आसमान पर चला गया है... शादी-ब्याह का फैसला घर के बड़े लोग करते हैं.... तुम अपना मुँह बंद रखो, तुम्हारे लिए यही अच्छा है और अब चुपचाप घर के काम-काज के साथ शादी की भी तैयारी करो"। आशा माँ की बात सुनकर मायूस हो जाती है लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ती। वह इस बारे में अपने पिता से बात करती है तो पिता सख्त लहजे में माँ की कही बात को ही दोहरा देते हैं।

माँ और पिता की डपट से आशा दुखी हो जाती है लेकिन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ती। अगले दिन वह स्कूल में अपने साथियों को पूरी बात बताती है। आशा की बात सुनकर उसकी सारी सहेलियां परेशान हो जाती हैं। तभी सीमा कुछ सोचते हुए कहती है, "आशा तुम्हें याद है, पिछले माह हमारे स्कूल में चाइल्ड हेल्पलाइन टीम की ओर से हमें बाल अधिकारों और बाल विवाह के बारे में बताया गया था कि अगर हमें इस तरह की कोई भी समस्या हो तो हम चाईल्ड हेल्पलाइन (1098) पर शिकायत कर सकते हैं..." सीमा की बात सुनकर आशा की आँखों में चमक आ गयी लेकिन वह चमक तुरंत ही बुझ भी गयी। उसने निराश होते हुए कहा, "अगर चाईल्ड हेल्पलाइन पर की गयी शिकायत की जानकारी पापा या माँ को हो गयी तो मेरी बहुत पिटाई होगी"। रजनी आशा को टोकते हुए कहती है, "अरे कोई पिटाई नहीं होगी क्योंकि चाइल्ड हेल्पलाइन वाले सर ने कहा था कि 1098 नम्बर पर जो भी बात होगी... वह गोपनीय रखी जाएगी... इसलिए तुरंत फोन उठा और नम्बर घुमा..."।

उस दिन स्कूल से आते ही आशा ने मौका देखकर अपने पिता के फोन से 1098 नम्बर डायल किया और बताया कि उसके परिवार वाले उसकी शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं जबकि वह नाबालिग है और शादी नहीं करना चाहती। उसके इंकार करने के बाद भी घरवाले उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। साथ ही आशा ने यह

गुजारिश भी की कि उसने जो मदद मांगी है उसे गोपनीय रखा जाए अन्यथा उसका परिवार उसकी पिटाई करेगा।

आशा की शिकायत सुनकर चाइल्ड हेल्पलाइन टीम सक्रिय हुई और बाल विवाह निषेध अधिकारी को सूचना दी। तुरंत ही टास्क फोर्स का गठन किया गया जिसमें बाल कल्याण समिति सदस्य, चाइल्ड हेल्पलाइन टीम, पुलिस विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बालिका के घर जाकर परिवार से बातचीत की और परिवार को बाल विवाह क़ानून के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। साथ ही यह चेतावनी भी दी गयी कि अगर वे अपनी बेटी की शादी 18 साल से कम उम्र में करेंगे तो उनके विरुद्ध क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी जिसमें सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

टास्क फोर्स के सदस्यों के समझाने और सजा एवं जुर्माने के भय से परिवार ने आशा की शादी का विचार अपने मन से निकाल दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई टास्क फोर्स द्वारा परिवारवालों से लिखित में लिया गया कि वे अपनी बेटी की शादी 18 वर्ष की उम्र के बाद ही करेंगे। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों और सचिव ने कहा कि अगर कोई भी परिवार अपने बच्चों (लड़की 18 एवं लड़का 21 साल से कम उम्र) का बाल विवाह करेगा तो उसे पंचायत की किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।

इस मामले में सभी कागजी कार्रवाई और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, चाइल्ड हेल्पलाइन टीम और पंचायत सचिव के द्वारा नियमित रूप से 6 माह तक परिवार पर निगरानी रखी गयी और समय-समय पर परिवार और बच्ची की काउंसलिंग की गयी। चाइल्ड हेल्पलाइन की सक्रियता का नतीजा यह रहा कि अब ज्यादातर परिवार बाल विवाह के खिलाफ है। आशा अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है और अपने सपनों को सच करने की राह पर निकल पड़ी है।

आंकड़े और तथ्य

बाल विवाह के आंकड़ों को अगर हम देखें तो बाल विवाह के मामले में राजगढ़ जिला प्रदेश में बहुत आगे है और NHFS - 5 के अनुसार आज भी राजगढ़ जिले में 46% बाल विवाह होते हैं। बाल विवाह रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रशासन के प्रयासों का ही नतीजा है कि जिले में बाल विवाह के मामलों में काफी हद तक कमी आई है।

बाल विवाह की इस कुप्रथा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा नियमित तौर पर "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" एवं "किशोर सशक्तिकरण कार्यक्रम" के अंतर्गत बच्चों के संरक्षण से संबंधित सभी हितधारक विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का निरंतर प्रशिक्षण किया जा रहा है।

जिला कलेक्टर के द्वारा जिला स्तरीय बाल विवाह रोकथाम दल का गठन भी किया गया। साथ ही ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर भी बाल विवाह रोकथाम हेतु दल का गठन किया गया। जिसमें सरकारी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, सामूहिक विवाह कराने वाले संगठनों को भी जोड़ा गया। बाल विवाह रोकथाम दल द्वारा विवाह करने वाले जोड़ों के उम्र संबंधी दस्तावेजों की भी लगातार जांच की जा रही है। विगत दो वर्षों में बाल विवाह रोकथाम दल द्वारा जो प्रयास किये गए वह काफी सफल हुए हैं। इस सफलता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पिपल्या ग्राम में हो रहे सामूहिक विवाह सम्मलेन को आयोजकों द्वारा स्वयं ही रोक दिया गया क्योंकि उन्होंने जब उम्र संबंधी दस्तावेजों की जांच की तो पाया कि ज्यादातर जोड़े नाबालिग हैं। आयोजकों ने सामूहिक फैसला लिया कि जब जोड़े बालिग होंगे तभी सामूहिक विवाह सम्मेलन का हिस्सा बन सकेंगे।

बाल विवाह रोकथाम दल के द्वारा जो प्रयास किये गए हैं उसके अनुसार वर्ष 2022 में 42 बाल विवाह रोके गये और एक बाल विवाह होने पर FIR भी की गयी। जबकि वर्ष 2023 में 76 बाल विवाह रोके गये और 5 FIR भी की गयी है।

बाल विवाह रोकथाम के लिए विगत कुछ वर्षों से राजगढ़ जिले में प्रशासन के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है इसे देखकर यह उम्मीद तो जगती है कि आगामी वर्षों में राजगढ़ बाल विवाह मुक्त ज़िला बन सकता है।

●●●

13- मुझे रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना है ...

- लल्लन प्रसाद गोंड

कहते हैं कि जीवन में अगर कुछ करने की ठान लो तो उसे पूरा करने में कहीं न कहीं से मदद जरुर मिलती है। शौर्या दल की सदस्य से लेकर मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र और राज्य आनंद विभाग 'आनंदम सहयोगी' बनने का सफ़र लक्ष्मी की जीवटता की मिसाल है। लक्ष्मी कहती है मेरे नाम का अर्थ जानते हैं आप। पहले अक्षर का अर्थ है लक्ष्य, दूसरे का अर्थ है क्षेत्र का निर्धारण करो और तीसरे का अर्थ है मापदंडों को तय कर आगे बढ़ो।

यह कहानी निम्न मध्यमवर्गीय परिवार की बेटी लक्ष्मी जाटव की है, जिसने अपने दम पर न केवल अपनी किस्मत खुद बनायी बल्कि औरों की जिंदगी बेहतर बना रही है। 22 वर्षीय लक्ष्मी जाटव, ग्राम टेकना, जिला श्योपुर की निवासी है। लक्ष्मी की मां का नाम लीला जाटव तथा पिता जी का नाम राजू जाटव है। लक्ष्मी की माँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और पिताजी मानसिक अस्वस्थता के चलते घर पर ही रहते हैं। चार बहन और चार भाईयों में लक्ष्मी का स्थान चौथा है। लक्ष्मी से बड़े भाई बहनों ने सरकारी छात्रावास में रहकर अपनी पढ़ाई की जबकि छोटे भाई बहन अभी पढ़ रहे हैं।

लक्ष्मी के पिता पहले इतना तो जरूर कमा लेते थे कि परिवार के सभी सदस्यों की जरूरतें आराम से पूरी हो जाया करती थी। वह एक खुशहाल परिवार था जिसमें बच्चे पढ़ते-लिखते, खेलते-कूदते अपने बचपन को माता-पिता के स्नेहिल छाया में जी

रहे थे। मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। लक्ष्मी के पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गये और परिवार आर्थिक संकट से घिर गया। कुछ समय बाद लक्ष्मी की दो बड़ी बहनों ने अपने परिवार को सम्भाल लिया, जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के तौर पर काम कर रही थीं। मगर वह काफी नहीं था।

उस समय लक्ष्मी के गाँव में महिला सशक्तिकरण के 11 सूत्रीय गतिविधियों वाली शौर्य दल योजना शुरू हुई थी। इसके तहत सभी गांव की किशोरियों को भी शौर्या दल सदस्य बनाया जाना था। चूंकि लक्ष्मी की माँ भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं इसलिए लक्ष्मी भी शौर्या दल की सदस्य बन गयी।

शौर्या दल की सदस्य के रूप में लक्ष्मी अपनी सभी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभाने लगी। 26 जनवरी और 15 अगस्त के अवसर पर परेड में भाग लेते समय लक्ष्मी का उत्साह जैसे आसमान छूने लगता। गाँव में कभी कोई अधिकारी मुआयने के लिए आते तो लक्ष्मी को आगे कर दिया जाता। उस समय लक्ष्मी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित बी. एस. डब्ल्यू. का कोर्स के द्वितीय वर्ष की छात्रा थी।

जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और किशोर सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शौर्य दल की सदस्य किशोरियों को जीवन कौशल विकास के तहत नेतृत्व विकास प्रशिक्षण दिया गया था। ऑनलाइन प्रशिक्षण की श्रृंखला भी चलाई गयी, जिसमें एनीमिया, कोविड और युवा, किशोरियों और महिलाओं हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर सत्र लिए गये। विषय पर पूर्व और पश्चात् परीक्षण भरवाई गई। किशोरियों के साथ कई बैठकें आयोजित की गयीं और संभावनाओं से भरी कुछ किशोरियों का चिन्हांकन भी इस दौरान किया गया जिनमें से एक लक्ष्मी भी थी।

जोश से भरीं ये किशोरियाँ हर काम पूरी लगन और उत्साह से करतीं। यह देखते हुए इन्हें अलग-अलग कई तरह के अवसर दिये गये ताकि ये अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन खुलकर कर सकें। कुछ ने कुशल उद्घोषक की भांति मंच संचालन किया तो किसी ने कहीं और अपना हुनर दिखाया। किशोर सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत दो किशोरियों को कस्तूरबा गाँधी बालिका छात्रावास में आयोजित कार्यशाला का प्रभारी बनाया गया। उन दो किशोरियों में से एक लक्ष्मी भी थी, कार्यशाला में बच्चों को नाटक का प्रशिक्षण दिया और मंचन करवाया। एक खंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति के प्रशिक्षण में 'बालिकाओं के लिए हमारी जिम्मेदारी' विषय पर उसने जन प्रतिनिधियों को सम्बोधित भी किया।

इस तरह विभिन्न प्रशिक्षणों में भाग लेने की वजह से लक्ष्मी की रूचि सामाजिक कार्यों में बढ़ने लगी। वह कभी किसी जिम्मेदारी को निभाने से पीछे नहीं हटी। परिणाम यह हुआ कि अगर किसी बालिका को जिले का प्रतिनिधि बनाकर भेजना हो तो सबसे पहले लक्ष्मी का नाम ही लिया जाता। समय के साथ साथ लक्ष्मी का व्यक्तित्व भी निखर गया। उसने अपने कालेज, जिले और राज्य का राष्ट्रीय स्तर पर कई बार प्रतिनिधित्व किया। यूथ महापंचायत जुलाई 2022 भोपाल, सुशासन समागम दिसंबर 2022 भोपाल, माँ तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत बाघा-अटारी पाकिस्तान बार्डर भ्रमण), लोक संस्कृति, मेरा माटी मेरा देश अभियान जैसे अवसरों में लक्ष्मी ने पूरे आत्मविश्वास से अपने शौर्या दल का प्रतिनिधित्व किया।

लक्ष्मी के कार्य

शौर्या दल से जुड़ने और विभिन्न प्रशिक्षणों के बाद लक्ष्मी ने अपने गांव की वैसी तीन बालिकाओं जिन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया था, उनके परिवार को समझाया और इन बालिकाओं को 9वीं कक्षा में प्रवेश दिलवाया। इसके अलावा 7वीं के बाद स्कूल छोड़कर दो बालकों के परिवारों को भी समझाकर उन्हें 8वीं कक्षा में प्रवेश दिलाने में मदद की। लक्ष्मी के द्वारा एक बार एक दिव्यांग बालिका को श्योपुर आधार कार्ड शिविर में लाकर आधार बनवाया गया और सामाजिक न्याय विभाग की योजना का लाभ दिलवाया गया।

शौर्या दल की सदस्य बनने के बाद समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति उसकी समझ विकसित हुई। वह अब बाल अधिकार, बाल संरक्षण, घरेलू उत्पीड़न जैसे मुद्दों की अहमियत भी अच्छी तरह समझने लगी। शौर्य दल की सदस्य के रूप में उसने यह भी सीखा कि अगर उसके आसपास के वातावरण में बाल हिंसा, बाल विवाह या घरेलू हिंसा जैसा ज़हर घुला हो तो उसे क्या करना चाहिये।

उसके गाँव में कहीं भी हिंसा वाली घटना हो, वह बेखौफ समझाइश देने पहुँच जाती। लोग चिढ़कर उससे कहते, "इस छोटी सी लड़की के बित्ते भर की जुबान तो देखो ! तू क्या समझाएगी हमें? घर के बड़े मिलकर समस्या को सुलझा लेंगे।"

छोटी सी बच्ची समझते हुए कुछ लोग ताना देते, कुछ डांटते तो कुछ आँखें तरेरते। छोटी सी बच्ची के मुँह से बड़ी-बड़ी

बातें सुनना उन्हें मंजूर जो नहीं था। वैसे छोटी थी तो क्या? काम के सिलसिले में उसे कई बार गाँव से बाहर भी जाना पड़ता था। आस पड़ोस के लोग ताना मारते, "न जाने कहाँ-कहाँ फिरती रहती है।"

धीरे-धीरे लक्ष्मी को इन बातों की आदत सी पड़ गयी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गाँव के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं क्योंकि वह रूढ़ियों में जकड़े उन 'चार लोगों' की फितरत अच्छी तरह से जानती थी। जहाँ वह पढ़ाई कर रही थी वहाँ भी हालात बहुत अच्छे नहीं थे। उसके सहपाठी उसके काम को समझ ही नहीं पाते थे। वे कहते, "पढ़ाई छोड़कर फालतू के कामों में समय क्यों खराब कर रही है?" जबकि, प्रोफेसर उससे खुश रहते थे क्योंकि वह पढ़ाई के अलावा कॉलेज की अन्य गतिविधियों जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता में भी बढ़चढ़कर हिस्सा लेती थी।

आगे चलकर वह शौर्य दल की उत्प्रेरणा से 'राष्ट्रीय सेवा योजना' से भी जुड़ गयी। उसने तय कर लिया है वह सामाजिक क्षेत्र में ही काम करेगी। अब वह अपने जीवन का मकसद जान चुकी है।

लक्ष्मी ने सामाजिक कार्यकर्ता रूप में मुख्यमंत्री इंटर्नशिप योजना अंतर्गत 'जनसेवा मित्र' के रूप में काम किया है। वह राज्य आनंद विभाग की योजना अंतर्गत 'आनंदम सहयोगी' का प्रशिक्षण प्राप्त कर लोगों को सरल बनने और सकारात्मक जीवन जीने की कला से परिचय करवा रही है। उसका पूरा परिवार शिक्षा के प्रति सजग है। वह खुद बी.एस.सी.(बायोलॉजी), बीएसडब्ल्यू, पीजीडीसीए कर चुकी है तथा एमएसडब्ल्यू कर रही है। साथ ही कानून का अध्ययन भी कर रही है।

लक्ष्मी के कार्य

शौर्या दल से जुड़ने और विभिन्न प्रशिक्षणों के बाद लक्ष्मी ने अपने गांव की वैसी तीन बालिकाओं जिन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया था, उनके परिवार को समझाया और इन बालिकाओं को 9वीं कक्षा में प्रवेश दिलवाया। इसके अलावा 7वीं के बाद स्कूल छोड़ चुके बालकों के परिवारों को भी समझाकर उन्हें 8वीं कक्षा में प्रवेश दिलाने में मदद की। लक्ष्मी के द्वारा एक बार एक दिव्यांग बालिका को श्योपुर आधार कार्ड शिविर में लाकर आधार बनवाया गया और सामाजिक न्याय विभाग की योजना का लाभ दिलवाया गया। खुद के बारे में लक्ष्मी का कहना है कि 'मैं एक सरल सहज स्वभाव की लड़की हूँ और 'सीखो और सिखाओ' मेरे जीवन का उद्देश्य है। मेरा नाम लक्ष्मी है जिसमें तीन अक्षर आते हैं। पहले का मतलब लक्ष्य और दूसरे का क्षेत्र और तीसरा मापदंड। लक्ष्य तय करो, क्षेत्र का निर्धारण करो और मापदंड तय कर आगे बढ़ो। यही मेरी कहानी है!...

14- सफर अभी जारी है...

- कल्पना रायजादा

हालाँकि बाल विवाह पर हमारे देश में लम्बे समय से कानूनन प्रतिबन्ध है लेकिन लगभग एक सदी बीत जाने के बाद भी हम बाल विवाह की काली छाया से मुक्त नहीं हो पाए हैं। आज भी बड़े पैमाने पर बाल विवाह के प्रकरण सामने आते हैं और बच्चे बदस्तूर इस कुरीति की भेंट चढ़ रहे हैं। हालाँकि शिवपुरी जैसे जिलों ने बाल विवाह को लेकर एक समुचित रणनीति के तहत मिलकर एक लंबा रास्ता तय किया है लेकिन अभी भी यह सफ़र जारी है...।

कोरोना की विभीषिका के दौरान सभी स्कूल बंद थे, बच्चे घरों में कैद थे। बच्चों के घर से बाहर न निकल पाने और कोरोना के चलते बने एक माहौल ने बच्चों के सामने कई तरह की मनोसामाजिक चुनौतियाँ खड़ी थीं। जिसमें बाल विवाह की समस्या भी एक बड़ी चुनौती के रूप में दिखाई दे रही थी। उसी दौरान यह सूचना प्राप्त हुई कि एक बाल विवाह, 26 अप्रैल 2020 को शिवपुरी के मनियर गाँव में नीतू जाटव नामक बालिका (परिवर्तित नाम) का होने जा रहा था। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, विवाह की रस्में चल रहीं थीं लेकिन इस विवाह में बालिका की उम्र 16 वर्ष 10 माह थी। जिला स्तर पर बाल विवाह रोकथाम हेतु जागरूकता कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलाये गए थे इसलिये किसी जागरूक व्यक्ति ने बाल विवाह की सूचना चाइल्ड हेल्प लाइन को दी। जिले में गठित टास्क फोर्स ने संयुक्त रूप से जाकर यह शादी रूकवा दी।

दरअसल यह विवाह लॉकडाउन के दौरान ही तय कर दिया गया था। इस दौरान किसी भी सामाजिक समारोह के आयोजन के लिए एस०डी०एम० से विशेष अनुमति लिया जाना प्रशासन द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था। इस विवाह आयोजन के लिए एस०डी०एम० को दिये गए आवेदन में बालिका की माँ ने उसकी उम्र को लेकर एक झूठा शपथ पत्र संलग्न किया था, जिसकी वजह से विवाह आयोजन की मंजूरी सरलता से मिल गयी थी। लेकिन टीम ने जाँच में बालिका को नाबालिग पाया और सी०डी०पी०ओ० नीलम पटेरिया ने एस०डी०एम० को सूचित किया, जहाँ से तत्काल ही विवाह रद्द करने का आदेश पारित कर दिया गया। तुरंत उठाये गये कदम की वजह से एक बच्ची की जिन्दगी बर्बाद होने से बच गयी।

लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी परिस्थिति बनती क्यों है? दरअसल नीतू वंचित भूमिहीन परिवार की बेटी है, उसके घर में माँ, दादी, छोटा भाई और एक दिव्यांग बहन है, जिसकी देखभाल के लिये उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। वर्ष 2017 में उसकी बहन चल बसी, क्योंकि नीतू की पढ़ाई पहले ही छूट चुकी थी लेकिन बहन के देहांत के बाद भी नीतू अपनी पढ़ाई

वर्ष	परामर्श से रोके गये बाल विवाह	मौके पर रोके गये बाल विवाह	दर्ज प्रकरण
2017-18	15	07	0
2018-19	18	09	0
2019-20	24	13	01
2020-21	60	45	03

पूरी नहीं कर पाई , वह हमेशा मायूस रहती और घर के कामों में ही लगी रहती। जहां नीतू का परिवार रहता था, वहां लड़कियों से छेड़छाड़, पुरूषों का घर के सामने ही जुआ खेलना, शराब पीना आस-पास के माहौल को सभी (विशेषकर लड़कियों) के लिए असुरक्षित करता था। रेखांकित करने योग्य बात यह है कि नीतू की माँ को पता था कि 18 वर्ष से पहले लड़की का विवाह करना कानूनन अपराध है लेकिन आस-पड़ोस में होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं से डरकर उन्हें यह विकल्प ही सही लगा। बाल विवाह के प्रमुख कारकों में बच्चियों की सुरक्षा भी एक प्रमुख कारण है, इसके अलावा कुछ अध्ययन यह भी बताते हैं कि जिन परिवारों की आय गरीबी रेखा से नीचे रही है, वहाँ बाल विवाह के मामले भी ज्यादा देखे गये हैं। शिवपुरी जिला बाल विवाह के मामलों में प्रदेश में छठवें स्थान (जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार) पर आता है। इसके अलावा सामाजिक अवधारणाएं, अशिक्षा, बाल श्रम, शासकीय योजना व अन्य सुविधाओं पर जागरूकता का अभाव जैसे कई अन्य कारण भी जिम्मेदार हैं।

इन सब कारकों को ध्यान में रखते हुए यह भी सामने आता है कि विवाह तो शायद रोक भी दिया जाए लेकिन उसके बाद क्या ? जैसा कि इस प्रकरण में देखा जा सकता है कि शादी रोकने के बाद बालिका व उसके परिवार के सदस्यों की चाइल्ड हेल्पलाईन के परामर्शदाताओं द्वारा काउंसलिंग की गयी। नीतू की रुचि को ध्यान में रखते हुए उसे महिला एवं बाल विकास विभाग (मबाविवि) ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी (सीएसआर) के माध्यम से सिलाई मशीन उपलब्ध कराते हुए उसे एक माह का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उसे मास्क बनाने का काम भी उपलब्ध करवाया गया। यह महज एक उदाहरण भर है, जिले में देख-रेख एवं संरक्षण वाले बालकों के बेहतर हित में किए जा रहे प्रयासों का।

वर्ष 2019 में किशोर सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में बाल विवाह और बाल हिंसा रोकथाम हेतु महिला बाल विकास विभाग (मबाविवि) के सहयोग से काम शुरू किया। शुरूआती दौर में बाल विवाह, बाल हिंसा, बच्चों के प्रति हो रही लैंगिक हिंसा जैसे विषयों पर सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिले। इन स्थितियों को देखते हुए विभिन्न विभागों के साथ मिलकर डी.आर.जी (जिला रिसोर्स समूह) एवं बी.आर.जी (ब्लॉक स्तरीय रिसोर्स समूह) का चयन करने के बाद जिला स्तर के 56 और ब्लॉक स्तर के 256

अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया ।

इस बड़ी टीम के साथ ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के प्रयास शुरू किये गये। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2012, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम जैसे बाल हितैषी कानूनों का प्रचार-प्रसार विभिन्न विभागों की ग्राम स्तरीय बैठक, कार्यकर्ता बैठक और सेक्टर बैठकों में किया जाने लगा।

प्रशासनिक स्तर पर भी न केवल बाल विवाह जैसी समस्या को स्वीकार्यता मिली बल्कि उसके निवारण के लिए प्रयास भी शुरू किये गये। जैसे शिवपुरी जिला प्रशासन ने 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' एवं किशोर-किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम लॉकडाउन के दौरान अक्षय तृतीया / देव उठनी ग्यारस के अवसर पर बाल विवाह रोकथाम हेतु निर्देश जारी किए गए। परियोजना स्तर पर बालविवाह रोकने के लिये दलों का गठन किया गया। इसके अलावा विवाह हेतु स्कूली शिक्षा प्रमाणपत्र एवं चिकित्सा बोर्ड प्रमाणपत्र को ही आयु प्रमाणपत्र के रूप में मान्य किया गया। धीरे-धीरे ही सही पर जिले में इन समन्वित प्रयासों का सुखद परिणाम सामने आया। जिले में बाल विवाह रोकथाम के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हुई। जिले में पहली बार बाल विवाह कराने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुए एफ.आई.आर दर्ज करायी गयी। इन प्रयासों के साथ ही शिवपुरी जिले में एक और अनूठी शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व विकास कार्यक्रम के तहत संचालित बैचलर ऑफ सोशल वर्क (बीएसडब्ल्यू) पाठ्यक्रम में बाल विवाह को भी जोड़ा गया। इस पाठ्यक्रम से जुड़े छात्रों की सहायता से जिले में सामुदायिक बैठकें और दीवार लेखन के माध्यम से जागरूकता के प्रयास किये गए और सामुदायिक विवाह सम्मेलनों का निरीक्षण कई बाल विवाह रोकने में मदद की गई।

आज महिला एवं बाल विकास विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है कि बाल विवाह हो ही न, लेकिन यदि किसी बाल विवाह की सूचना मिलती भी है तो उसे समय रहते ही रोक दिया जाए। इसके लिए जहां एक ओर बालक-बालिकाओं और उनके परिवारों की काउंसिलिग की जा रही है, वहीं दूसरी ओर उन्हें वोकेशनल कोर्स व पढ़ाई से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

●●●

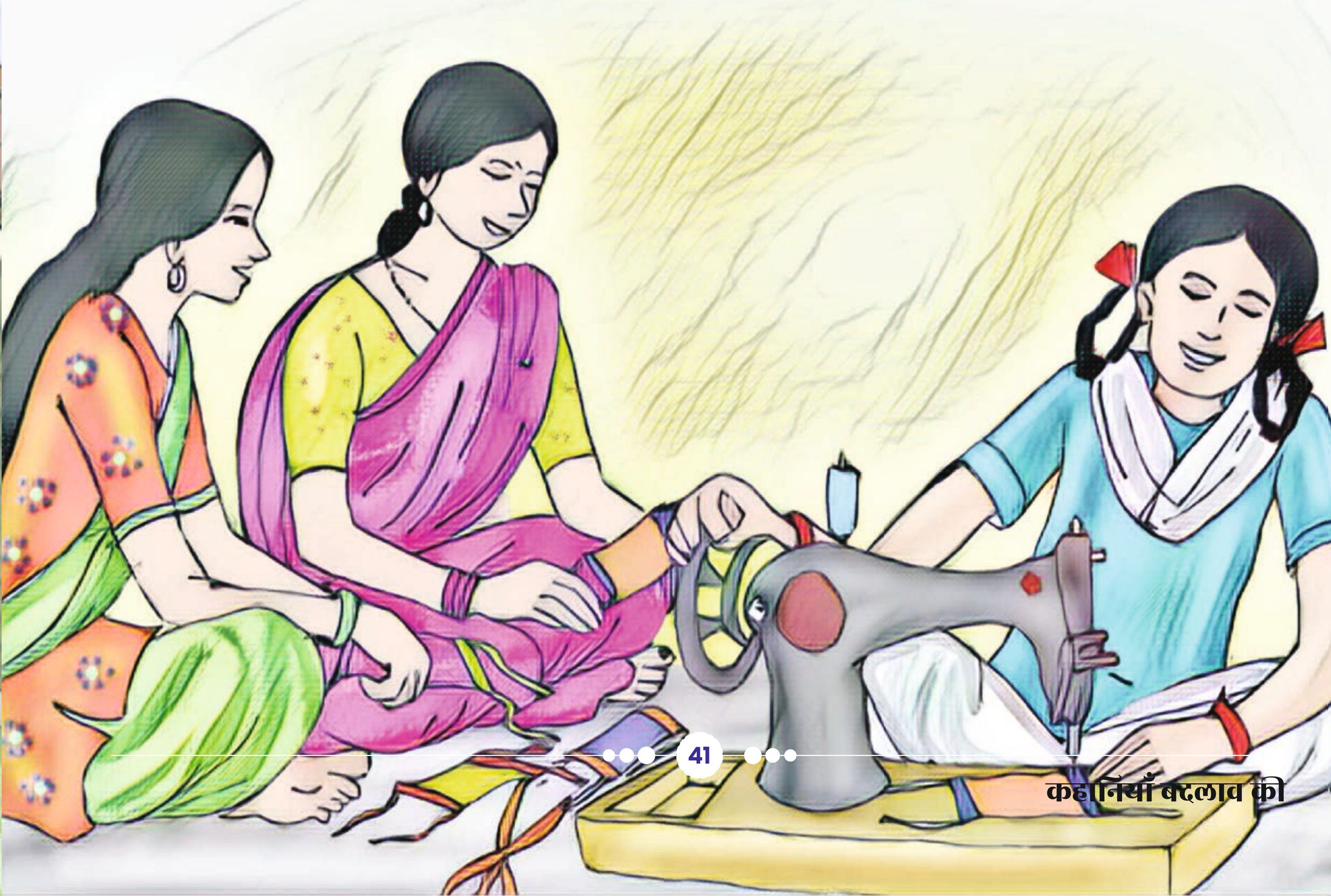

15- रौशन ज़िन्दगी

- अरविन्द मिश्रा

पत्थर खदानों में काम करते हुए भी विनीता ने अपने सपनों को पत्थर नहीं होने दिया। वह सोचती थी कि पढ़-लिखकर शिक्षिका बनूँ, पर माँ-बाप ने कच्ची उम्र में ही उसका विवाह तय कर दिया। वह लगभग टूट सी गई। फिर उठी, समूह के साथियों को बताया और फिर सबने मिलकर जैसे उसके सपनों को पूरा करने के के लिए कमर कस ली। उसका बाल विवाह रुकवाया और अब वह पढ़-लिखकर शिक्षिका बनने की राह पर चल पड़ी है...।

विदिशा जिले के गंजबासौदा ब्लॉक की साहिबा पंचायत का साहिबा टपरा यहाँ की पत्थर खदानों में काम करने वाले मजदूरों की बस्ती है, यहाँ पर घरों में काम में आने वाले पत्थर (फर्सी) की खदान हैं। यहाँ के अधिकाँश मजदूर इन्हीं खदानों में काम करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। इसी पंचायत में रहती हैं बालिका स्वार्थी। वह पूरे गाँव में सबसे ज्यादा 12वीं तक पढ़ी-लिखी है। वह चाहती है कि उसकी ही तरह उसके गाँव के अन्य किशोर-किशोरी सशक्त बनें और इसलिये उसने उनका एक समूह बनाया है और नाम रखा है 'साहिबा टपरा युवा समूह'। इस समूह में वह युवाओं को उनके अधिकारों स्वास्थ्य, शिक्षा के बारे में प्रोत्साहित करती और शासकीय योजनाओं, जननी सुरक्षा और हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में जानकारी देती। स्वार्थी के इस समूह में विनीता (परिवर्तित नाम) नाम की एक लड़की भी है, हालांकि विनीता युवा समूह की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाती क्योंकि वह भी परिवार चलाने के लिए पत्थर खदान में मजदूरी करने जाती है। विनीता के पिता नशे के आदी हैं और कोई काम-धंधा नहीं करते हैं, इसलिये परिवार के भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी माँ सावित्री (परिवर्तित नाम), बेटे राजेश (परिवर्तित नाम) और विनीता पर है।

विनीता पत्थर खदानों में काम करते हुए भी खुली आँखों से एक सपना देख रही थी और वह सपना था पढ़-लिखकर शिक्षिका बनने का। इसलिये वह पढ़ती-लिखती और समूह की बैठकों में हिस्सा लेती। पर एक दिन विनीता स्कूल में परीक्षा दे रही थी कि उसके माता-पिता उसे लेने स्कूल आ गए और बाज़ार साथ चलने को कहा। विनीता ने परीक्षा बीच में छोड़कर बाज़ार जाने से मना कर दिया। उसके घर लौटने पर उसे बहुत डांटा और बताया कि उसकी शादी तय हो गई है। शादी की बात सुनते ही वह काँप गई, क्योंकि अभी तो वह केवल 14 साल की ही तो थी। वह यह बात अपने पिता को समझा भी नहीं पा रही थी।

इसी बीच वह साहिबा टपरा युवा समूह की बैठक में शामिल हुई। संयोग से इस दिन बाल विवाह पर ही चर्चा हो रही थी और बालिका स्वार्थी समूह को बाल विवाह के बारे में बता रही थी कि 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका और 21 वर्ष से कम उम्र के बालक का विवाह एक कानूनी अपराध है। इसके लिए हम चाइल्ड हेल्पलाइन, पुलिस और आंगनवाड़ी केंद्र में शिकायत कर सकते हैं। विनीता के मन में उधेड़बुन चल रही थी। उसने स्वार्थी से पूछा, "क्या उसका विवाह भी बाल विवाह के श्रेणी में

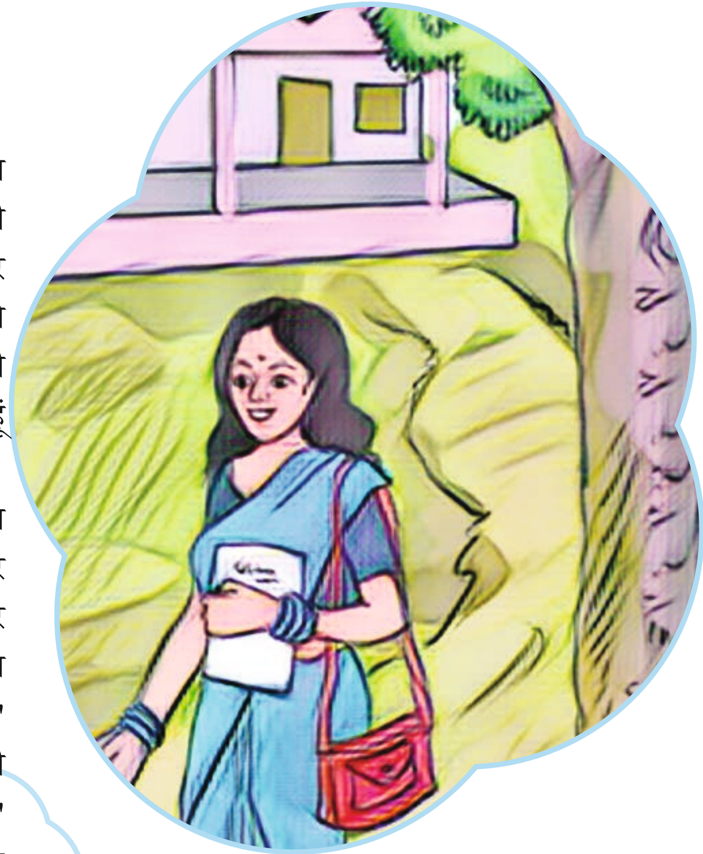

आएगा ? क्योंकि वह तो अभी 14 साल की है"। स्वार्थी ने जवाब दिया, "हाँ, विनीता तुम्हारी शादी भी बाल विवाह की श्रेणी में ही आयेगी"। यह सुनते ही विनीता का चेहरा दमक उठा लेकिन फिर उसने सोचा कि यह बातें पिताजी को कौन समझाएगा ? विनीता ने स्वार्थी से कहा, "दीदी मैं पढ़ना चाहती हूं, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करके शिक्षिका बनना है । मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूं लेकिन यह बात मेरे घरवालों को कौन समझाएगा"?

स्वार्थी ने विनीता को समझाते देते हुए कहा, "तुम चिंता मत करो, हम सभी युवा समूह के लोग तुम्हारे घर चलेंगे और तुम्हारे पिता से बात करेंगे।" एक दिन सभी योजना बनाकर विनीता के घर पहुंचे। स्वार्थी ने बात शुरू करते हुए उसके पिता से पूछा, "चाचा क्या आप विनीता की शादी कर रहे हैं? पिताजी ने जवाब दिया, " हाँ... उसकी शादी तय हो गई है। अब वह बस कुछ दिन की ही मेहमान है, फिर अपने घर विदा हो जाएगी"। स्वार्थी ने कहा, " चाचा, विनीता अभी शादी के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार नहीं है, अगर आप विनीता की शादी कर भी देते हैं तो उसकी जिंदगी सामान्य नहीं रह जाएगी। शादी करने से अच्छा है, आप उसे पढ़ने दें और उसे अपनी जिन्दगी संवारने दें। कम उम्र में शादी होने पर व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है यदि ऐसी स्थिति में वह माँ बनती है तो इससे उसकी और उसके बच्चे, दोनों की जान को खतरा हो सकता है"।

पिता ने जवाब दिया, " बिटिया शादी तो तय हो चुकी है, अब इसे मना नहीं किया जा सकता और विनीता भी शादी करना चाहती है !! स्वार्थी ने सवाल किया, "क्या आपसे विनीता ने पूछा कि क्या वह शादी करना चाहती है"? विनीता के पिता हंसने लगे और कहा, "अरे वह क्या बोलेगी... हम सब समझ जाते हैं... उसके पिता जो हैं न..."। स्वार्थी ने मुस्कराते हुए कहा, "पर चाचा आप समझ ही नहीं पाए कि विनीता अभी शादी नहीं करना चाहती"।

इसपर उन्होंने कहा कि चलो अभी पूछ लेते हैं, और उन्होंने उसी समय विनीता को आवाज दी, "क्या बिन्नु, तुम शादी नहीं करना चाहती हो"? विनीता ने डरते हुए उत्तर दिया, "पापा मैं अभी पढ़ना चाहती हूं और आगे चलकर अपनी पढ़ाई पूरी करके शिक्षिका बनना चाहती हूं"। विनीता की बात सुनकर उसके पिता चकित रह गए उन्होंने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, "बिन्नु, अब जब तुम चाहोगी तभी हम तुम्हारा विवाह करेंगे"। यह सुनकर विनीता खुशी से झूम उठी, विनीता के पिता के राजी होने के बाद स्वार्थी ने बातों ही बातों में उन्हें यह भी समझाया कि लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में करना एक कानूनी अपराध है। इसकी शिकायत पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन में की जा सकती है।

स्वार्थी की बातों से विनीता के पिता बहुत ही प्रभावित हुए, उन्होंने अपनी गलती मानी और विनीता से वादा किया वह उसकी शादी 18 वर्ष के बाद ही उसकी सहमति से करेंगे। साथ ही अपने आस-पड़ोस के लोगों और गाँव के लोगों को भी बाल विवाह न करने के लिए प्रेरित करेंगे। विनीता अब अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए है और साहिबा टपरा युवा समूह की बैठकों में भी हिस्सा ले रही है। वह लोगों को जागरूक भी कर रही है ताकि सारी लड़कियों के अरमान पूरे हो सकें जैसे उसके हो रहे हैं।

किशोर सशक्तिकरण कार्यक्रम

बाल विवाह को समाप्त करने और बच्चों के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम सहित किशोर-किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु यूनिसेफ, मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ मिलकर ममता संस्थान के तकनीकी सहयोग से किशोर सशक्तिकरण कार्यक्रम का संचालन कर रही है। वर्तमान में यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के 15 जिलों में जिला प्रशासन के साथ मिलकर क्रियान्वित की जा रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरों, युवाओं और उनके परिवारों, विशेष रूप से उन समूहों की जो मुश्किल परिस्थिति का सामना कर रहे, क्षमताओं और योग्यताओं को सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, कौशल और अन्य सशक्तिकरण कार्यक्रमों के माध्यम से सुदृढ़ करना है, ताकि वे अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बेहतर निर्णय ले सकें।

इस कार्यक्रम के तहत प्रदत्त सहयोग एवं आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में मुख्य रूप से शामिल है – जिला स्तर पर विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में तकनीकी सहयोग, जिला कार्य योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन, विभिन्न हितधारकों हेतु क्षमतावर्धन कार्यक्रम, मुश्किल परिस्थिति में रहने वाले बच्चों का चिन्हांकन एवं उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से उन बच्चों एवं परिवारों का जुड़ाव, किशोर एवं युवाओं का कौशल विकास कार्यक्रम से जुड़ाव आदि।

विगत वर्षों में इस कार्यक्रम के तहत कई सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं उनमें से एक यह है कि मध्य प्रदेश राज्य में बड़ी संख्या में बाल विवाह रोके गए हैं और प्रभावित बच्चों एवं किशोरों को आवश्यक सहायता सेवाओं से जोड़ा गया है।

कहानियों के इस संग्रह में प्रत्येक कहानी अनोखी है और किशोरों, युवाओं और उनके परिवारों की जीवटता और साहस का परिचय देती है। साथ ही, यह भी देखना काफी सुखद है कि इन किशोर एवं युवाओं के जीवन में बदलाव लाने में जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं सामुदायिक कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

MAMTA HIMC
BRIDGE TO HEALTH & BEYOND

unicef
for every child